@Kamal.Sandesh KamalSandeshLive www.kamalsandesh.org kamal.sandesh @KamalSandesh

कमल संदेश

'अटल भूजल योजना' की शुरुआत

वर्ष-15, अंक-02 16-31 जनवरी, 2020 (पाक्षिक) ₹20

नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में राष्ट्र एकजुट

जोधपुर (राजस्थान) में एक विशाल 'जन जागरण' रैली को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह

नई दिल्ली में सीएए के समर्थन में जन जागरण अभियान के तहत घर-घर जाकर लोगों से मिलते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह

नई दिल्ली में 'दिल्ली साइकिलवॉक' की आधारशिला रखते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह

गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में सीएए के समर्थन में जन जागरण अभियान के तहत घर-घर जाकर लोगों से मिलते भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

गुवाहाटी (असम) में एक विशाल बूथ सम्मेलन को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में सीएए के समर्थन में जन जागरण अभियान के तहत घर-घर जाकर पुस्तिका बांटते केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 **इस बार दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनने वाली है...**
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि आज यहां का दृश्य बता रहा है कि फरवरी के अंत में दिल्ली में किसकी सरकार बनने वाली है...

वैचारिकी

समाज की सर्वांगीण उन्नति हमारा ध्येय 18

श्रद्धांजलि

प्रथम लोक सभा के सदस्य कमल सिंह का निधन 21
नहीं रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुनीलाल 21

लेख

नागरिकता संशोधन अधिनियम- क्या यह नैतिक है? क्या यह संवैधानिक है? नहीं, यह दोनों का समावेश है! 30
सीएए उदात्त परम्परा की अगली कड़ी 32

अन्य

जनता को गुमराह कर रहीं ममता बनर्जी 13
मनोहर पर्रिकर ने रक्षा ढांचे को सशक्त किया 13
असम के लोगों के हितों की रक्षा के लिए कृतसंकल्प है केंद्र सरकार 14
वृक्ष आच्छादित क्षेत्र में एक करोड़ तीस लाख हेक्टेयर की अप्रत्याशित वृद्धि 15
प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति 16
'अटल भूजल योजना' की शुरुआत 17
चुनौतियों को चुनौती देने का हमने कोई मौका नहीं छोड़ा 22
नरेंद्र मोदी सरकार ने 40 लाख लोगों को अपने घर का मालिक बनाया 27
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), 2019: महत्वपूर्ण बिन्दु 29
मन की बात 33

08 **नागरिकता संशोधन कानून पर भाजपा ने चलाया राष्ट्रव्यापी...**
भारतीय जनता पार्टी ने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में...

12 **सीएए पर एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे: अमित शाह**
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 3 जनवरी को जोधपुर में कहा ...

24 **पीएम किसान के तहत 6 करोड़ लाभार्थियों के लिए 2,000 रुपये...**
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 जनवरी को कर्नाटक के तुमकुर में आयोजित एक जनसभा में राज्यों के प्रगतिशील किसानों...

26 **युवा वैज्ञानिक देश की पूंजी हैं: नरेन्द्र मोदी**
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 3 जनवरी को यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

नरेन्द्र मोदी

कुछ लोग सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को गरीबों के ही खिलाफ बताने में लगे हैं। ये एक्ट उन लोगों पर लागू होगा, जो बरसों से भारत में ही रह रहे हैं। नए शरणार्थी को इस कानून का फायदा नहीं मिलेगा। ये वो लोग हैं, जिनमें अधिकतर दलित हैं, जिनको पाकिस्तान में बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया था।

अमित शाह

धार्मिक प्रताड़नाओं से और अपने परिवार की जान व इज्जत बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर भारत में आए हमारे भाइयों-बहनों की दशकों की आस को नरेन्द्र मोदी जी ने पूर्ण कर उन्हें अधिकार व सम्मान देने का काम किया है। सीएए से उनके जीवन में एक नया सवेरा आया है।

जगत प्रकाश नड्डा

दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू न कर दिल्ली की जनता के साथ अन्याय किया है, जिसका जवाब जनता विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत से विजय प्रदान कर देगी।

facebook

राजस्थान में पिछले एक वर्ष में 31% अपराध बढ़ा है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में भी 50% वृद्धि हुई है। यह प्रदेश की कांग्रेस सरकार के सुशासन के दावों की एक बानगी है। प्रदेश में अपहरण, बलात्कार, हत्या, डकैती, चोरी सहित सभी तरह के अपराधों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। एक वर्ष पहले तक हमारा राजस्थान देश में शांति प्रिय प्रदेश जाना जाता था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने सत्ता संभाली हर तरफ अपराध व अपराधियों का ही बोलबाला शुरू हो गया। कांग्रेस सरकार के कुशासन से त्रस्त जनता अब खुद को ठगा हुआ व भयभीत महसूस कर रही है।

— **वसुंधरा राजे**

कांग्रेस का थिंक टैंक खाली हो चुका है, इसलिए उसमें देशहित के बारे में सोचने की बजाय मरणासन्न वामपंथी सोच और टुकड़े-टुकड़े गैंग के लिए काम करनेवाले लोग भर गए हैं। यह खोखलापन ही है कि जिस पार्टी ने धर्म के आधार पर देश का रक्तरंजित विभाजन स्वीकार कर लिया, वह पार्टी धर्म के कारण यातना झेलकर भारत में शरण लिये लोगों को नागरिकता देने का विरोध कर रही है।

— **सुशील कुमार मोदी**

ननकाना साहेब की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की कहानी

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के विरोध के नाम पर सड़कों पर जिस प्रकार की गुंडागर्दी, दंगे, आगजनी एवं अराजकता देखी गई, उसकी न केवल कड़ी निंदा होनी चाहिए बल्कि इसे लोकतंत्र पर एक बड़े खतरे के रूप में भी देखना चाहिए। पूरे देश में कई जगहों पर इस कारण जान-माल का भारी नुकसान हुआ तथा खुलेआम संसद एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं को चुनौतियां दी गईं। यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस दौरान कांग्रेस एवं इसके सहयोगी लगातार अफवाह फैलाकर, तरह-तरह के झूठे किस्से कहानियां गढ़कर तथा दुष्प्रचार से हिंसक विरोध के लिये लोगों को उकसाते रहे हैं। इस प्रकार की राजनीति ही कांग्रेस का चरित्र रहा है जो सत्ता प्राप्ति के लिए समाज को बांटने की विभाजनकारी राजनीति करने से भी नहीं हिचकती, पर ऐसी राजनीति के दिन अब लद चुके हैं। लोगों के सामने अब कांग्रेस बेनकाब हो चुकी है और जनता इसकी बांटने वाली राजनीति को नकार चुकी है।

पूरे देश में मोदी सरकार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 पर भारी जनसमर्थन मिल रहा है। पड़ोसी देशों से आये प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के इस कदम का देश के कोने-कोने में स्वागत हो रहा है। ये ऐसे लोग हैं जिनका पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान में भयावह धार्मिक उत्पीड़न हुआ है और वे वहां से भागकर भारत में शरण लेने को मजबूर हुए हैं। इनमें से कइयों को अपनी पहचान छुपाकर रहना पड़ रहा है, क्योंकि वे कानूनी रूप से नागरिकता प्राप्त करने में असमर्थ हैं। वे अत्यंत दयनीय अवस्था में जी रहे हैं और जीवन को नई शुरुआत करना चाहते हैं। नागरिता (संशोधन) अधिनियम उनके जीवन में आशा की एक नई किरण लेकर आया है। कांग्रेस एवं इसके सहयोगियों को मोदी सरकार के इस मानवीय कार्य का खुले दिल से स्वागत करना चाहिए था, परंतु यह अत्यंत दुःख का विषय है कि प्रताड़ित शरणार्थियों के हितों को नजरअंदाज कर कांग्रेस ने 'वोट बैंक' की राजनीति को चुनना स्वीकार किया। कांग्रेस एवं इसके सहयोगियों ने यह बहुत बड़ी भूल की है जिसके लिए आने वाले समय में उससे देश की जनता अवश्य जवाब मांगेगी।

पूरे देश में मोदी सरकार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 पर भारी जनसमर्थन मिल रहा है। पड़ोसी देशों से आये प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के इस कदम का देश के कोने-कोने में स्वागत हो रहा है।

ननकाना साहेब में घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की दर्दनाक कहानी कहती है। यह और भी बड़ी विडंबना है कि कांग्रेस एवं इसके सहयोगियों का विरोध केवल बयानबाजी तक रहा और इस घटना के बावजूद वे नागरिकता (संशोधन) अधिनियम का विरोध करते रहे। जिस दिन ननकाना साहेब की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी, उसी दिन इस कानून का विरोध करने वालों का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए था और सारे विरोध को वापस लेकर कांग्रेस को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए थी। परंतु बड़े दुःख की बात है कि इस प्रकार की कायरतापूर्ण उत्पीड़न से कांग्रेस एवं इसके सहयोगियों को कोई फर्क नहीं पड़ता और वे पाकिस्तान तक की निंदा करने से बचना चाहते हैं।

यह वास्तविकता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक अमानवीय स्थिति, जान-माल की असुरक्षा एवं जबरन मतांतरण से जूझ रहे हैं तथा कई भयावह घटनाओं का ब्यौरा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी छप चुका है। इन देशों में अल्पसंख्यकों की घटती आबादी इस बात का प्रमाण है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों का लगातार एवं सोंची-समझी साजिस के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्हें या तो जबरन मतांतरित होने पर मजबूर किया जा रहा है या देश छोड़कर भारत में शरणार्थी बनने को वे विवश हो रहे हैं। चूंकि देश का बंटवारा कांग्रेस ने मजहब के आधार पर स्वीकार किया था इसलिए पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों के जान-माल एवं स्वाभिमान की रक्षा का नैतिक दायित्व भी भारत का रहा है। यही कारण है कि भारत-पाकिस्तान के बीच नेहरू-लियाकत समझौता अल्पसंख्यकों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी, परंतु इसमें अब कोई संदेह नहीं कि यह समझौता बुरी तरह असफल साबित हुआ। ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान के हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी एवं ईसाई के हितों की रक्षा का नैतिक दायित्व भारत पर है। इसी नैतिक दायित्व का निर्वहन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस कानून को लाकर किया है, जिसकी हर ओर प्रशंसा हो रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह एवं कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में भाजपा ने पूरे देश में जनसंपर्क अभियान शुरू किया है जिसे भारी जनसमर्थन मिल रहा है। पूरा राष्ट्र इस कानून के पक्ष में आज मजबूती से खड़ा है और जन-जन द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का अभिनंदन किया जा रहा है। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

इस बार दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनने वाली है: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि आज यहां का दृश्य बता रहा है कि फरवरी के अंत में दिल्ली में किसकी सरकार बनने वाली है। श्री शाह ने कहा कि कोई एक बार ही दिल्ली की जनता को झांसा दे सकता हैं बार-बार नहीं। इस बार दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनने वाली है।

श्री शाह ने आइजी इनडोर स्टेडियम में 5 जनवरी को बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उक्त बातें कहीं।

श्री शाह ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि यह चुनाव बड़ी बड़ी रैलियों, मीटिंग और जनसभाएं करके नहीं बल्कि मोहल्ला मीटिंग और लोगों को घरों में जाकर लड़ना है। पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं खुद आज मोहल्ला मीटिंग की शुरुआत करने जा रहा हूं। श्री शाह ने बूथ कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने पिछले पांच साल में जो काम किया हैं, उन्हें हमें लोगों को घर-घर लेकर जाना है। उन्होंने कहा कि 60 महीने पहले दिल्ली में केजरीवाल की सरकार चुनाव जीतकर सत्तासीन हुई थी। उससे पहले 15 साल तक कांग्रेस ने राज्य किया। आखिरकार इन लोगों ने राजधानी दिल्ली के अंदर क्या किया? जनता को इसका हिसाब इन्हें देना चाहिए।

उन्होंने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने गत पांच वर्षों में कोई काम नहीं किया, उलटा वे अब जनता का पैसा पेपर में विज्ञापन छपवाकर बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने कच्ची कॉलोनियों के निवासियों को पिछले पांच सालों से धोखा दिया। हमने 2019 में ही कहा था कि साल के अंत में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित बनाएंगे और उसको करके दिखाया। उन्होंने 1984 के सिख दंगे का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली के अंदर 1984-85 में सिखों के साथ कत्लेआम किया गया, उसमें तीन सौ से ज्यादा सिख सुमदाय के लोग मारे गए लेकिन कांग्रेस ने कभी उनकी तरफ देखा भी नहीं। जब केंद्र में मोदी सरकार आई तो हर परिवार को तत्कालीन गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। इसके अलावा सिख नरसंहार के दोषियों को भी जेल पहुंचने का काम मोदी सरकार ने किया।

श्री शाह ने केंद्र सरकार के कामों को गिनाते हुए कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में सिखों की आस्था का प्रमुख केंद्र करतारसिंह कॉरिडोर की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना, आष्युमान भारत योजना की शुरुआत हुई, लेकिन केजरीवाल ने दिल्ली के अन्दर लागू नहीं होने दिया। उसके बाद भी केंद्र सरकार ने दिल्ली के अंदर 35 हजार लोगों को झुग्गी झोपड़ियों को पक्का घर देने का वादा निभाया। द्वारका में पार्क बना रहा है। युमना नदी के किनारे साबरमती रिवर

फ्रंट जैसा काम शुरु होने जा रहा है। अब पूर्वांचल के लोगों को छठ पूजा के लिए इधर-उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 116 नई मेट्रो लाइन डाली हैं। 70 किलोमीटर नए रुट और बनाए जा रहे हैं। 112 किलोमीटर का उद्घाटन हो चुका है। इस सब कामों के लिए करीब 11 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। हवा को शुद्ध करने के लिए एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट को बाहर किया। 80 गांवों को शहरी गांव का दर्ज दिया और बिजली पानी भी पहुंचाया। ऐसे अनेक काम किए। श्री शाह ने कहा कि मैं केजरीवाल से पूछना चाहंता हूं कि हम तो अपने कामों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, लेकिन आप क्या लेकर जायेंगे?

उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध में आप के केजरीवाल और कांग्रेस के राहुल गांधी व प्रियंका गांधी ने लोगों को गुमराह कर देशभर में दंगे कराने का काम किया है। सीएए लाकर भाजपा ने महात्मा गांधी के 70 साल के वादे को पूरा किया है। सीएए से किसी की नागरिकता को कोई खतरा नहीं है। श्री शाह ने कहा कि यहां कुछ लोगों कहते हैं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं, तो फिर ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर सिख के ऊपर हमला क्यों हुआ? इन लोगों ने धारा 370, 35 ए और तीन तलाक का भी विरोध किया था। श्री शाह ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रियंका गांधी खुद दंगाई के घरों में जाकर मिल रही हैं और उनसे कह रही हैं कि हम आपके साथ हैं। कांग्रेस के लोग रामजन्मभूमि का भी काफी विरोध करते थे। दुनिया के लोगों की इच्छा थी कि जहां भगवान श्रीराम का जन्म हुआ है वहीं मंदिर बनना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ कर दिया।

उन्होंने कहा कि सीएए का समर्थन करने के लिए लोगों से 8888666622 पर मिस्ड कॉल करने का आग्रह किया।

हमने अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत किया: जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, 'अभी तक सभी राजनीतिक दल अनधिकृत कॉलोनियों के मामले में राजनीति करते रहे, बहानेबाजी करते रहे, लेकिन नरेन्द्र मोदी जी ने एक ही झटके में सारी अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत कर दिया।'

श्री नड्डा ने भाजपा, दिल्ली प्रदेश बूथ स्तर के कार्यकर्ता के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उक्त बातें कहीं।

उन्होंने दिल्ली के संदर्भ में मोदी सरकार की कल्याण एवं विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि भारत सरकार ने दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए ईस्टर्न-वेस्टर्न पेरिफेरल हाइवे का निर्माण कराया। श्री नड्डा ने कहा कि दिल्ली में रोजाना आने-जाने वाली 60 हजार गाड़ियों को दिल्ली के बाहर से गुजर सकने की व्यवस्था मोदी सरकार ने की है।

श्री नड्डा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत का विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा अकेली ऐसी पार्टी है जो वंशवाद से अलग, विचारवाद के आधार पर राष्ट्र सेवा में जुटी है, जबकि विपक्ष के पास नेता, नीयत और कार्यक्रम का अभाव है। श्री नड्डा ने जोर देकर कहा, 'बाकी सभी पार्टियां वंशवाद से ग्रसित हैं । भाजपा ऐसी पार्टी है जो विचारवाद के आधार पर राष्ट्र सेवा में जुटी है ।'

श्री नड्डा ने कहा कि किसी पार्टी के पास नेता है तो नीति नहीं और किसी के पास नीति है तो नीयत नहीं, कहीं नीयत है तो कार्यक्रम नहीं तथा कहीं कार्यक्रम है तो कार्यकर्ता नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसके पास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मोदीजी का नेतृत्व है जो उनके मार्गदर्शन में बूथ स्तर तक काम कर रहा है । उन्होंने कहा, 'भाजपा ऐसी पार्टी है, जहां विचारधारा के आधार पर हम सभी आगे बढ़ते हैं और विचार के प्रति समर्पित होकर देश सेवा में जुट जाते हैं।' ■

नागरिकता संशोधन कानून पर भाजपा ने चलाया राष्ट्रव्यापी अभियान

भारतीय जनता पार्टी ने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में 5 जनवरी से राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को इस कानून के प्रति जागरूक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस जागरूकता अभियान के तहत अपने-अपने क्षेत्र में विभिन्न मंत्रियों और नेता घर-घर जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। अभियान का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली से की। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री सर्वश्री राजनाथ सिंह एवं नितिन गडकरी समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने देश के विभिन्न हिस्सों में यह अभियान चलाया जहां उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून के फायदे बताए और विषय पर लोगों को पुस्तिकाएं बांटी।

दिल्ली

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने दिल्ली के लाजपत नगर से घर-घर जनसंपर्क अभियान शुरू किया। इस दौरान लोगों ने छत से उनका अभिवादन किया। उन्होंने केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी वाले पंफलेट भी बांटे। श्री शाह ने नागरिकता संशोधन कानून के फायदे बताए। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी व प्रियंका गांधी पर लोगों को गुमराह करने और दंगा भड़काने को लेकर प्रहार किया। श्री शाह ने लोगों से (8866288662) नंबर पर मिस्ड कॉल देने आह्वान किया जो भाजपा ने कानून के प्रति समर्थन जुटाने के लिए शुरू किया है।

केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी

महिला की बेटी 'नागरिकता' से मुलाकात की। जब नागरिकता संशोधन कानून संसद से पास हुआ था तब पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी महिला ने अपनी नवजात बेटी का नाम 'नागरिकता' रखा था। श्री रविशंकर प्रसाद ने 'नागरिकता' के माता-पिता से भी मुलाकात की।

उत्तर प्रदेश

भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने गाजियाबाद में घर-घर संपर्क करने के बाद आयोजित गोष्ठी में कहा कि आजादी के बाद कई पीढ़ियां बदली लेकिन उनकी कई आशाएं और आकांक्षाएं अधूरी रहीं। श्री नड्डा ने कहा कि मैं आज एक बार फिर से राहुल गांधी को चुनौती देता हूं कि वे सीएए पर 10 पंक्ति और इसके विरोध में दो पंक्ति बोल कर दिखाएं। भारत के लिए दुर्भाग्य की बात है कि वर्षों पुरानी कांग्रेस पार्टी के नेता आज ऐसे कैसे हो गए जिसे ये भी नहीं मालूम कि सीएए क्या है? राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा समाज को भड़काने वाली बात तो करते हैं लेकिन विपक्ष द्वारा प्रायोजित हिंसा की निंदा तक नहीं करते। उन्होंने कहा कि लेकिन देश की जनता समझदार है, वह कांग्रेस, सपा-बसपा, तृणमूल, राजद, आप पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों के बहकावे में अब और नहीं आने वाली। श्री नड्डा ने कहा कि भारत ने नेहरू-लियाकत समझौते का पालन किया लेकिन पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर भीषण अत्याचार हुए। 2 दिन पहले ही ननकाना साहिब पर पाक प्रायोजित हमले हुए, सिखों को आतंकित किया गया और आज फिर एक सिख भाई की पाकिस्तान में हत्या हुई। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल से लेकर डॉ. मनमोहन सिंह तक ने पाक-बांग्लादेश से आये अल्पसंख्यक विस्थापितों को भारत में बसाने की मांग की थी लेकिन वोट बैंक के लालच में कांग्रेस ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए।

केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने राजधानी लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कहा कि अब यह भ्रम फैलाना बन्द होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री व सरकार जाति

धर्म या मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती है। भारत ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है।

भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाये जा रहे नागरिकता संशोधन अधिनियम सम्पर्क महाअभियान के अन्तर्गत सरोजनी नगर विधानसभा के आशियाना स्थित जस्टिस खेमकरन के आवास पर रक्षामंत्री ने जस्टिस खेमकरन, जस्टिस भगवानदीन, जस्टिस ए.पी. सिंह, समाजसेवी रेखा त्रिपाठी, डॉ. जे.पी. गुप्ता, सुधीर कुमार पूर्व डी.आई.जी. सहित उपस्थित प्रबुद्ध वर्ग को नागरिक संशोधन अधिनियम पर पुस्तिका ''नागरिकता (संशोधन) अधिनियम-2019 एक परिचय'' एवं पत्रक ''नागरिकता संशोधन-2019 महत्तवपूर्ण बिन्दु'' भेंट की। रक्षामंत्री ने कहा कि सच्चा हिन्दुस्तानी जाति धर्म मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। उन्होंने कहा कि भारत में नागरिकता कानून पहले से है जो भी भारत में 12 वर्ष रहता है उसे पहले भी नागरिकता दी जाती रही है। पिछले 6 वर्षों में तीन हजार लोगों को नागरिकता दी गई है। इसमें तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर गोरखपुर में मुस्लिम समुदाय के सदस्यों से मुलाकात की और कहा कि यह कदम प्रताड़ित लोगों को शरण देने की भारतीय परंपरा के अनुरूप है। योगी आदित्यनाथ हाजी चौधरी कैफ-उल-वारा

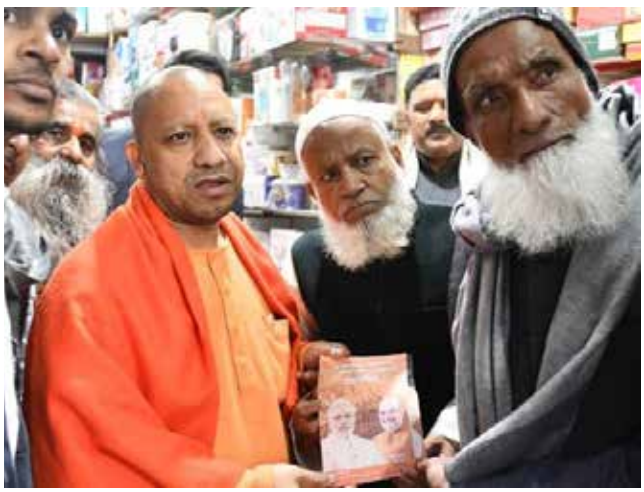

की दुकान गए और उन्हें कानून पर एक पुस्तिका सौंपी। उन्होंने कहा कि इसका मकसद प्रताड़ित लोगों को नागरिकता देना है। उन्होंने कैफ-उल-वारा से कहा, ''यह पुस्तिका सीएए के बारे में है, इसे पढ़ें और आपके सारे शक दूर हो जाएंगे। मैंने जागरूकता अभियान यहां से शुरू करने का विचार बनाया।''

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने मुरादाबाद में अभियान चलाया और विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे इस कानून को लेकर लोगों को भ्रमित करने और राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।

हरियाणा

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकूला में 'संपर्क अभियान' की शुरूआत करने के बाद कहा कि कुछ विपक्षी पार्टियां कानून के प्रावधानों को समझे बिना देश के लोगों को गलत सूचनाएं दे रही हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के बीच यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि यह कानून नागरिकता लेने के बारे में है बल्कि असल में यह नागरिकता देने के बारे में है। मुख्यमंत्री ने लोगों से सतर्क रहने और इन अफवाहों का शिकार नहीं होने की अपील की। उन्होंने लोगों से मानवता के हित में इस कानून पर विचार करने को कहा।

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश में इस गृह संपर्क अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने शिमला के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र टूटू से की। उन्होंने इस अधिनियम के बारे में दुकानदारों और आम जनता को पुस्तिकाएं वितरित कीं और उन्हें बताया कि नागरिकता संशोधन विधेयक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम नागरिकता दने के लिए है और देश के किसी भी नागरिक की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है।

बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यह अधिनियम उन अल्पसंख्यक समुदायों की सहायता के लिए लाया गया है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना सह रहे हैं लेकिन इससे भारत में किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल ने भाजपा के गृह संपर्क अभियान की शुरुआत सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र, पूर्व मुख्यमंत्री श्री शांता कुमार ने पालमपुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री सतपाल सत्ती ने ऊना से इस अभियान की शुरूआत की।

केरल

केरल में इस अभियान की शुरुआत करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजीजू ने उम्मीद जताई कि उच्च साक्षरता दर वाले राज्य के लोग देश के सामाजिक ताने-बाने को बर्बाद करने वालों से 'भ्रमित' नहीं होंगे। अभियान के तहत खेल मंत्री, मलयालम लेखक एवं केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता जॉर्ज ओनाक्कूर समेत कई प्रमुख नागरिकों के घर पहुंचे। सबसे पहले ओनाक्कूर के घर पहुंचकर उन्होंने लेखक को कानून पर केंद्र एवं भाजपा का पक्ष बताया। ओनाक्कूर ने बाद में संवाददाताओं से कहा कि देश की सुरक्षा के लिए नागरिकता देने के संबंध में सख्त कानूनों की जरूरत है।

तेलंगाना

तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि सीएए देश के किसी मुस्लिम को प्रभावित नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां मुस्लिम समुदाय के बीच उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रही है। हैदराबाद में 'गृह संपर्क अभियान कार्यक्रम' की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सभी की भलाई के लिए यह कानून लाई है और किसी भी भारतीय मुस्लिम को देश छोड़कर नहीं जाने को कहा जाएगा। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने कहा कि किसी भी मुस्लिम को इससे डरने की जरूरत नहीं है।

छत्तीसगढ़

केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री डॉ. संतोष गंगवार ने कहा कि लोगों के बीच सीएए को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। देशभर में 250 से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं। उनमें से 11 के विद्यार्थियों को शिकायत है। इनमें से भी 4 विश्वविद्यालय के विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएए किसी को प्रताड़ित करने के लिए नहीं है बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो पीड़ित अल्पसंख्यक हैं, उन्हें नागरिकता देने के लिए है। रायपुर में केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, तब पाकिस्तान ने खुद को इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया था। वहां हिंदू, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध की संख्या घट रही है। लोग सवाल करते हैं कि सभी धर्म का नाम लिया, फिर मुस्लिम क्यों नहीं? पाकिस्तान में मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं हैं।

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि 30 नवंबर 1947

को कांग्रेस के अधिवेशन में पाकिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिमों को शरण देने का प्रस्ताव पारित किया गया था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल इसके समर्थन में थे। पखांजूर से सरगुजा तक शरणार्थी रह रहे हैं। सीएए से अब अधिकृत संख्या सामने आ पाएगी। डॉ. रमन ने बताया कि 1947 में जब डॉ. भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री बने थे, तब उन्हीं की तरह कानून के जानकार योगेंद्र मंडल पाकिस्तान में कानून मंत्री बने थे। उन्होंने अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अन्याय को देखते हुए 1950 में इस्तीफा दे दिया था।

राजस्थान

केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण मे संगनेर के खुदाबख्श चौक के कागजी मोहल्ला में सीएए पर अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि विपक्ष नये कानून के बारे में गलत सूचनाएं प्रचारित कर रहा है। उन्होंने कहा कि सीएए किसी की नागरिकता लेने के बारे में नहीं है। विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं है इसलिए जानबूझ कर गलतफहमी पैदा कर रहा है।

ओडिशा

भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि केंद्र सरकार किसी भी परिस्थिति में नागरिकता संशोधन कानून को निरस्त नहीं करेगी। साथ ही कहा, पाकिस्तान में गुरूद्वारे पर पथराव और हालिया हिंसा दिखाती है कि नया कानून कितना जरूरी है। पुरी में श्री रूडी ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग कानून पर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं वे कभी सफल नहीं होंगे।

कर्नाटक

कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बी एस येदियुरप्पा ने विपक्ष के नेताओं को यह साबित करने की चुनौती दी कि नागरिकता संशोधन कानून का मुस्लिम समुदाय पर गलत असर पड़ेगा। श्री येदियुरप्पा ने कहा, ''नागरिकता संशोधन कानून के कारण देश में हमारे मुस्लिम भाइयों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी (कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्रियों) के कार्यकाल के दौरान भी इस पर आम सहमति थी।'' उन्होंने कहा कि दुर्भावना के कारण मुस्लिम भाइयों में भ्रम पैदा किया जा रहा है और यही कारण है कि सीएए के समर्थन में भाजपा ने घर-घर जाकर अभियान चलाने का फैसला किया। केंद्रीय मंत्री सर्वश्री डी. वी. सदानंद गौड़ा, उपमुख्यमंत्रियों सी एन अथनारायण और लक्ष्मण सावदी, मंत्री सुरेश कुमार ने भी विभिन्न स्थानों पर यह अभियान चलाया।

बिहार

बिहार के उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के गुरुद्वारे में हुई हालिया हिंसा और पथराव ने ''साबित'' कर दिया कि नागरिकता संशोधन कानून ''उचित समय पर लिया गया सही निर्णय है।'' उन्होंने पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र के तहत शास्त्री नगर इलाके में पार्टी का जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की और कानून के बारे में उन्हें समझाया।

झारखंड

केंद्रीय मंत्री श्री महेंद्र नाथ पांडे ने सीएए के समर्थन में कहा कि लाखों लोग अपना सम्मान, संस्कृति एवं धर्म बचाने के लिए शरणार्थी बन गए। रांची में भाजपा कार्यालय में सीएए पर आयोजित एक कार्यशाला में उन्होंने कहा, ''विपक्ष की दूषित राजनीति का पर्दाफाश करने के लिए भाजपा ने जन संपर्क अभियान शुरू किया है।''

जम्मू-कश्मीर

केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने कहा पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के चलते आने वाले हिंदुओं, सिखों और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए भारत एकमात्र शरण स्थल है। श्री सिंह ने जम्मू में संपर्क अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि भारत इन देशों में रह रहे अल्पसंख्यकों की जिम्मेदारी लेता है। ■

सीएए पर एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे: अमित शाह

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 3 जनवरी को जोधपुर में कहा कि चाहे सभी पार्टियां एक साथ आ जाएं, पर भाजपा नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर एक इंच भी पीछे नहीं हटेगी। इस मौके पर श्री शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। श्री अमित शाह को सुनने के लिए भारी भीड़ पहुंची। इस दौरान उन्होंने जोधपुर में पाकिस्तानी शरणार्थियों से भी मुलाकात की।

श्री अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा कानून पढ़ा है, तो कहीं पर भी चर्चा करने के लिए आ जाओ। नहीं पढ़ा है तो मैं इटैलियन में इसका अनुवाद करके भेज देता हूं, उसको पढ़ लीजिए।

उन्होंने कहा कि ये नरेंद्र मोदी का शासन है, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। उनके मुताबिक, बेशुमार अत्याचार के बाद जो यहां आएं हैं, मोदी जी की सरकार आप सभी को नागरिकता देकर भारतीय होने का गौरव प्रदान करने जा रही है।

उन्होंने कहा कि ममता दीदी कह रही हैं कि आपकी लाइनें लग जाएंगी, आपसे प्रूफ मांगे जाएंगे। मैं बंगाल में बसे हुए सारे शरणार्थी भाइयों को कहना चाहता हूं कि आपको कोई प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ेगी, आपको सम्मान के साथ नागरिकता दी जाएगी। दीदी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं ममता दीदी को कहना चाहता हूं कि बंगाली भाषी शरणार्थी हिंदू, दलितों ने आपका क्या बिगाड़ा है, क्यों इनकी नागरिकता का विरोध कर रही हो?

उन्होंने कहा कि गहलोत जी, इस (नागरिकता संशोधन अधिनियम) का विरोध करने के बजाय, जो बच्चे रोज कोटा में मर रहे हैं, उन पर अपना ध्यान केंद्रित करें, कुछ चिंताएं दिखाएं, मांएं आपको कोस रही हैं।

श्री शाह ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस वीर सावरकर जैसे महान व्यक्तित्व के खिलाफ बोल रही है। कांग्रेसियों को खुद पर शर्म आनी चाहिए।

श्री शाह ने कहा कि धर्म के आधार पर बंटवारा कांग्रेस ने किया था, जिसका दंश आज भी अन्य देशों में रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग झेल रहे हैं। लियाकत नेहरू समझौते का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 56 इंच की छाती वाले मोदी ने वोट बैंक की चिंता किए बगैर अपना वादा निभाया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि बांग्लादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक कहलाने वाले अन्य धर्मों के लोगों का जबरन शोषण कर उनका धर्म परिवर्तन करवाया दिया जाता है। लोगों को मार दिया गया। इन मुस्लिम देशों में रहने वाली अन्य धर्मों की बहन बेटियों की इज्जत से खेला गया, उस समय सबसे बड़ा मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ था, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई।

श्री शाह ने कहा कि अन्य देशों से प्रताड़ित होकर अपनी जान बचाकर सब कुछ छोड़कर जो लोग भारत की और आए हैं, उनमें 70 फीसद दलित हैं। देश का दलित विरोध करने वालों की और बारीक नजर से सब कुछ देख रहा है। दलितों का विरोध करने वाले पार्टियों से सवाल पूछते हुए श्री शाह ने कहा कि इन बेघर हुए लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है, जिससे कि आप इस कानून के खिलाफ खड़े हो गए हैं।

सीएए व एनआरसी के समर्थन में जन जागरण सभा के साथ इस अभियान को सफल बनाने के लिए टोल फ्री नंबर की भी घोषणा की गई, जिसमें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने सभी से निवेदन किया कि राहुल गांधी, ममता दीदी, केजरीवाल एंड पार्टी और लेफ्ट पार्टियों को जवाब देते हुए अपने मोबाइल से 8866288662 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर श्री नरेंद्र मोदी के नागरिकता संशोधन कानून को अपना समर्थन दें। ■

जनता को गुमराह कर रहीं ममता बनर्जी: जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून पर तृणमूल कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हमेशा ही राष्ट्रीय हितों के ऊपर राजनीति को प्राथमिकता दी है।

श्री नड्डा नए नागरिकता कानून पर मोदी सरकार को ''धन्यवाद'' देने के लिये 23 दिसंबर को कोलकाता में आयोजित एक रैली को संबोधित कर रहे थे।

श्री नड्डा ने कहा कि यह संशोधित कानून नागरिकता प्रदान करता है, यह इसे छीनता नहीं है जैसा कि लोगों के एक समूह ने दावा किया है। उन्होंने कहा, ''यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ममता बनर्जी ने हमेशा ही राष्ट्रीय हितों के ऊपर अपनी राजनीति को प्राथमिकता दी है। तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल संशोधित कानून पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं।''उन्होंने कहा, ''वे राष्ट्रहित के बजाए सिर्फ (अपने) वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए परेशान हैं। उन्हें उन शरणार्थियों के दर्द और परेशानी की चिंता नहीं है जो अपनी जिंदगी और सम्मान बचाने के लिये इस देश में आ रहे हैं।''

श्री नड्डा ने राज्य में नागरिकता कानून को लेकर हुई हिंसा पर "कार्रवाई न करने" के लिये बनर्जी पर निशाना साधा। संशोधित कानून के समर्थन में भाजपा राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय एवं पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष श्री दिलीप घोष सहित पार्टी के अन्य

वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री नड्डा ने इससे पहले दिन में एक मार्च निकाला।

विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए श्री नड्डा ने कहा कि डॉ. मनमोहन सिंह ने 2003 में तत्कालीन गृह मंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी से अपील की थी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को देश में शरण लेने की इजाजत दी जाए। "लेकिन अब जब सरकार ने यही चीज करने के लिये एक कानून पारित कर दिया तो वे इसका विरोध कर रहे हैं।" ■

पणजी (गोवा)

'मनोहर पर्रिकर ने रक्षा ढांचे को सशक्त किया'

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने राफेल युद्धक विमानों को बेड़े में शामिल किए जाने का श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और दिवंगत मनोहर पर्रिकर को देते हुए 3 जनवरी को कहा कि अब वायुसेना सीमा पार किए बिना भी पाकिस्तान को निशाना बना सकती है।

श्री नड्डा ने कहा, ''रक्षा खरीद के संबंध में किए गए कई फैसलों के तहत, (रक्षा मंत्री के रूप में पर्रिकर के कार्यकाल के दौरान) हमें 36 राफेल युद्धक विमान जेट्स मिले। अब हमारे अभिनंदन को पाकिस्तान नहीं जाना पड़ेगा, वह भारत से ही पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं।''

श्री नड्डा ने आरोप लगाया कि संप्रग सरकार देश के रक्षा बुनियादी ढांचे के उन्नयन में विफल रही। उन्होंने कहा, ''आज मैं पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

उन्होंने श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रक्षा बलों के लिए बहुत कुछ किया।'' श्री नड्डा ने कहा, ''संप्रग के दस साल के कार्यकाल

में, हर रक्षा सौदा भ्रष्टाचार के संदेह के घेरे में था। यह हेलीकॉप्टर सौदा हो या पनडुब्बी सौदा। उसने दस साल किसी भी खरीद सौदे पर हस्ताक्षर नहीं किए।'' श्री नड्डा ने कहा कि संप्रग सरकार ''वन रैंक वन पेंशन'' के मुद्दे को नहीं सुलझा पाई, जिसे पर्रिकर ने सुलझा दिया था। ■

'असम के लोगों के हितों की रक्षा के लिए कृतसंकल्पित है केंद्र सरकार'

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 4 जनवरी को कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और उन्होंने इस पर उन्हें '10 लाइन (पंक्ति)' बोलने की चुनौती दी। श्री नड्डा ने असम में भाजपा के बूथ स्तरीय प्रमुखों की एक रैली में राहुल गांधी को यह चुनौती दी। भाजपा नेता ने कहा, ''मैं राहुल गांधी को सीएए के बारे में 10 लाइन बोलने और अधिनियम में वह जिस चीज का विरोध कर रहे हैं, उस बारे में दो लाइन बोलने की चुनौती देता हूं।'' श्री नड्डा ने कहा, ''वह कुछ नहीं जानते हैं। वह लोगों से कहते हैं वे अपने पासपोर्ट और आधार कार्ड से वंचित हो जाएंगे। लेकिन सीएए नागरिकता देने के लिए है ना कि छीनने के लिए।''

उन्होंने कहा, ''आप की (राहुल गांधी की) सोच में गड़बड़ी है क्योंकि आप सिर्फ राजनीति से प्रेरित हैं। आप राष्ट्र को नहीं देखते बल्कि सिर्फ वोट बैंक को देखते हैं जिसे आपने राष्ट्र से ऊपर रखा है। भाजपा के लिए, वोट से ऊपर देश है क्योंकि हम राष्ट्र के लिए प्रेम से प्रेरित हैं।'' श्री नड्डा ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व सीएए के विरोध के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहा है। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए श्री नड्डा ने कहा, ''असम समझौता पर 1985 में हस्ताक्षर किए गए थे और देश पर 70 साल शासन करने के बावूद आप 2017 तक सोये रहे।'' उन्होंने कांग्रेस नेताओं को उन शिविरों में भी जाने की चुनौती दी जहां अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक आधार पर प्रताड़ना का सामना करने के चलते उन देशों से पलायन कर आए गैर मुस्लिम रह रहे हैं ताकि वे उनकी दशा खुद देख सकें। श्री नड्डा ने धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किए गए इस तरह के लोगों को शरण देने के महात्मा गांधी के कथन, उसके बाद प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऐसे लोगों को राहत कोष देने की इच्छा जताना और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा इन लोगों के लिए भारत में व्यवस्था करने के बारे में कहे जाने का भी जिक्र किया।

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा, ''पलायन कर भारत में आए ये लोग कहां जाएंगे? श्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह ने अधिनियम में संशोधन लाया ताकि वे लोग गरिमा एवं सम्मान से जी सकें।'' उन्होंने असम के लोगों की इन आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की कि सीएए से उनकी भाषा, पहचान और संस्कृति को खतरा पैदा होगा।

भाजपा राष्ट्रीय महासचिव श्री राम माधव ने कहा कि सीएए का जो लोग विरोध कर रहे हैं वे इसे पूरी तरह से नहीं समझ रहे हैं, जबकि अन्य लोग इसे समझना नहीं चाहते। उन्होंने कांग्रेस पर झूठ और दुष्प्रचार से सीएए के बोर में लोगों को उकसाने का अरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यह झूठ फैला रही है कि सीएए के चलते करोड़ों बांग्लादेशी असम में आ जाएंगे। ■

वृक्ष आच्छादित क्षेत्र में एक करोड़ तीस लाख हेक्टेयर की अप्रत्याशित वृद्धि

केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने 30 दिसंबर को नयी दिल्ली में देश के वन क्षेत्र की स्थिति (आईएसएफआर) पर रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा जारी की गई है। इस पर देश के वन और वृक्ष संपदा के आकलन के साथ ही हर दो वर्ष पर वन क्षेत्र का नक्शा बनाए जाने की जिम्मेदारी है। आईएसएफआर 1987 से यह काम कर रहा है। उसकी ओर से अबतक देश के वन क्षेत्र का 16 बार आकलन किया जा चुका है और इस संबंध में वह ताजा रिपोर्ट के साथ अबतक 16 रिपोर्ट जारी कर चुका है।

रिपोर्ट जारी करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के उन चंद देशों में से है जहां वन क्षेत्र का दायरा लगातार बढ़ रहा है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि ताजा आकलन के अुनसार देश का कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र 80.73 मिलियन हेक्टेयर है जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56 प्रतिशत है।

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि 2017 के आकलन की तुलना में देश में इस बार वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र का कुल दायरा 5188 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है "इसमें वन आच्छादित क्षेत्र का दायरा 3976 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र का दायरा 1212 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है।

वन क्षेत्रों में यह बढ़ोतरी खुले और सामान्य रूप से घने तथा बेहद घने जंगलों में देखी गई है। सघन वन क्षेत्रों में विस्तार के मामले में कर्नाटक, आंध्रप्रेदश, और केरल शीर्ष तीन राज्यों में से रहे। कर्नाटक में 1025 वर्ग किलोमीटर, आंध्रप्रदेश में 990 वर्ग किलोमीटर का और केरल में 823 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र का विस्तार हुआ है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें

वन आच्छादित क्षेत्र के माममें में आंध्रप्रदेश पहले नंबर पर रहा। अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर जबकि छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर रहा। इसके बाद छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र का नबंर रहा। देश के कुल भौगालिक क्षेत्र के अनुपात में वन आच्छादित क्षेत्र में प्रतिशत के हिसाब से बढ़ोतरी के मामले में मिजोरम (85.41%) प्रतिशत) अरुणाचल प्रदेश (79.63%), मेघालय (76.33%), मणिपुर (75.46%) और नागालैंड (75.31%). पांच शीर्ष राज्य रहे।

जैव विविधिता के मामले में कच्छ वनस्पति का पारिस्थितिकी तंत्र अनोखा और समृद्ध है। इससे कई तरह की पारिस्थितिकी सेवाएं प्राप्त होती हैं। आईएसएफआर 2019 में कच्छ वनस्पति वाले क्षेत्रों के बारे में अलग से उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार देश में ऐसे क्षेत्रों का कुल दायरा 4975 वर्ग किलोमीटर है।

पिछली रिपोर्ट 2017 के आकलन की तुलना में इस बार ऐसे क्षेत्रों में 54 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी देखी गई है। कच्छ वनस्पति के मामले में गुजरात (37 वर्ग किलोमीटर) महाराष्ट्र (16 वर्ग किलोमीटर) और ओडिशा(8 वर्ग किलोमीटर) की बढ़ोतरी के साथ देश के तीन शीर्ष राज्य रहे।

भारत के वन क्षेत्र और वनों के बाहर स्थित वृक्षों और छोटे जंगलों का कुल क्षेत्र 5915.76 मिलियन घन मीटर अनुमानित है। जिसमें 4273.47 वर्ग मीटर वनों के भीतर तथा 1642.29 मिलियन घन मीटर वन क्षेत्रों के बाहर है। कुल मिलाकर देश की वन संपदा में 2017 की तुलना में 93.38 मिलियन वर्गमीटर की वृद्धि हुई है।

देश में बांस उत्पादन का कुल क्षेत्र 16.00 मिलियन हेक्टेयर है। वर्ष 2017 में जारी आकलन रिपोर्ट की तुलना में इस बार बांस वाले क्षेत्रों में 0.32 मिलियन हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार बांस के पौंधों का अनुमानित कुल हरित वजन 278 मिलियन टन है, जो 2017 की रिपोर्ट की तुलना में 88 मिलियन अधिक है।

मौजूदा आकलन रिपोर्ट के अनुसार देश के वन क्षेत्र में कार्बन का स्टॉक 7124.6 मिलियन टन अनुमानित है जो कि पिछली रिपोर्ट की तुलना में 42.6 मिलियन टन अधिक है। कार्बन स्टॉक में सालान स्तर पर 21.3 मिलियन टन की वृद्धि हुई है जो कि 78.2 मिलियन टन कार्बन डाइ आक्साइड के बराबर है।

वन आच्छादित दलदली क्षेत्र हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का अहम हिस्सा हैं। पादपों और जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियां जैव विविधता को समृद्ध बनाते हैं। दलदली क्षेत्रों की इसी खासियत को ध्यान में रखते हुए भारतीय वन सर्वेक्षण ने संरक्षित वन क्षेत्रों में स्थित एक हेक्टेयर से ज्यादा वाले दलदली क्षेत्रों का इस बार राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे कराया। नतीजों में पाया गया कि देश में कुल 62,466 दलदली क्षेत्र हैं जो संरक्षित वन क्षेत्रों का 3.8 प्रतिशत है।

आज जारी की गई रिपोर्ट आईएसएफआर श्रृंखला की 16 वीं रिपोर्ट है। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप, एफएसआई का आकलन काफी हद तक डिजिटल डेटा पर आधारित है, चाहे वह उपग्रह डेटा हो, जिलों के स्तर पर एकत्र किये गए आंकड़े हों या फिर क्षेत्रों के माप के आधार पर डेटा की प्रोसेसिंग हो।

रिपोर्ट में वन आच्छादित, वृक्ष आच्छादित, कच्छ वनस्पति वाले, वन क्षेत्रों के अंदर और बाहर बढ़ते वृक्ष क्षेत्र हों या जंगलों में कार्बन स्टॉक की बात हो सभी जानकारियां पूरी सटीकता के साथ दी गई हैं। रिपोर्ट में पहाड़ी, आदिवासी जिलों और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों जैसे इलाकों में वन क्षेत्रों की विशेष विषयगत जानकारी भी अलग से दी गई है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए पहली बार आर्थो रेक्टिीफाइट डेटा का इस्तेमाल किया गया है। ■

प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति

सरकार ने सैन्य मामलों का नया विभाग बनाया, सीडीएस होंगे इसके प्रमुख

भाजपानीत केंद्र की राजग सरकार ने रक्षा मंत्रालय में सैन्य मामलों का एक नया विभाग बनाया और नवनियुक्त चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत इसके प्रमुख होंगे। 31 दिसंबर को जारी एक सरकारी आदेश में यह जानकारी दी गई। थल सेना प्रमुख के रूप में तीन साल का कार्यकाल पूरा कर चुके जनरल रावत को 30 दिसंबर को देश का पहला सीडीएस नामित किया गया।

आदेश के अनुसार नए विभाग के पास तीनों सेनाओं- थल सेना, नौसेना और वायु सेना से संबंधित कार्य होंगे। इसके अलावा मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार पूंजीगत खरीद को छोड़कर सेवाओं के लिए विशिष्ट खरीद की भी जिम्मेदारी नए विभाग के पास होगी।

इस आदेश में कहा गया है कि विभाग संयुक्त और थिएटर कमानों की स्थापना सहित संचालन में सहयोग के जरिए संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए सैन्य कमांड के पुनर्गठन की सुविधा सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा यह संयुक्त योजनाओं और आवश्यकताओं के एकीकरण के जरिए सैन्य सेवाओं में खरीद, प्रशिक्षण और स्टॉफ की नियुक्ति की प्रक्रिया में समन्वय लाएगा। साथ ही, विभाग सेना में स्वदेश निर्मित उपकरणों के इस्तेमाल को बढ़ावा देगा।

राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने भारत सरकार (कामकाज का आवंटन) नियमावली, 1961 में बदलाव को मंजूरी दे दी और इसके बाद विभाग का गठन किया गया। इस परिवर्तन के बाद रक्षा मंत्रालय के अधीन अब पांच विभाग होंगे। इन विभागों में रक्षा विभाग, सैन्य मामलों के विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग शामिल हैं।

सैन्य मामलों के विभाग में रक्षा मंत्रालय का एक एकीकृत मुख्यालय होगा, जिसमें थल सेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय, वायु मुख्यालय, डिफेंस स्टाफ मुख्यालय और प्रादेशिक सेना शामिल होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 दिसंबर को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के सृजन को मंजूरी दी थी।

पृष्ठभूमि: 15 अगस्त, 2019 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा था, 'भारत में खंडित दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। हमारी पूरी सैन्य शक्ति को एकजुट होकर काम करना होगा और आगे बढ़ना होगा। सभी तीनों सेवाओं को एक साथ एक ही गति से आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा सामंजस्य होना चाहिए और यह देशवासियों की आशा एवं आकांक्षाओं के लिए प्रासंगिक होना चाहिए। यह विश्व भर में बदलते युद्ध और सुरक्षा परिदृश्य के अनुरूप होना चाहिए। इस पद (सीडीएस) के सृजन के बाद तीनों ही सेनाओं को शीर्ष स्तर पर प्रभावशाली नेतृत्व सुनिश्चित होगा।' ■

प्रधानमंत्री ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद संभालने पर जनरल बिपिन रावत को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक जनवरी को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद संभालने पर जनरल बिपिन रावत को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा "मुझे इस बात की खुशी है कि जैसे ही हम नये वर्ष और नए दशक में प्रवेश कर रहे हैं, भारत को जनरल बिपिन रावत के रूप में अपना पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिल रहा है। मैं उन्हें बधाई देता हूं, और इस नयी जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देता हूं। वह एक निष्ठावान अधिकारी हैं जिन्होंने बड़े उत्साह के साथ देश की सेवा की है।"

श्री मोदी ने कहा कि ऐसे समय में जब देश का पहला सीडीएस अपना पदभार संभाल रहा है, मैं उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने हमारे राष्ट्र की सेवा की है और राष्ट्र के लिए बलिदान दिया है। मैं उन बहादुर जवानों को याद करता हूं जो करगिल युद्ध में शामिल हुए थे और जिसके बाद हमारी सेना में सुधार के लिए गहन चर्चाएं शुरु हुईं, जिसकी परिणति आज की ऐतिहासिक घटना के रूप में हुई है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से मैंने घोषणा की थी कि देश को जल्दी ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिलने वाला है। इस पद पर हमारी सेनाओं को आधुनिक बनाने की बड़ी जिम्मेदारी है। यह देश की एक अरब तीस करोड़ जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों को परिलक्षित करेगा।

उन्होंने कहा कि आवश्यक सैन्य विशेषज्ञता के साथ सैन्य मामलों के विभाग का गठन और सीडीएस के पद को संस्थागत रूप दिया जाना एक ऐसा महत्वपूर्ण और व्यापक सुधार है जो हमारे देश को आधुनिक समय के युद्ध की बदलती चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा। ■

'अटल भूजल योजना' की शुरुआत

15 करोड़ घरों में पीने के स्वच्छ पानी की सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 दिसंबर को 'अटल भूजल योजना' (अटल जल) की शुरुआत की, जिससे सात राज्यों के 8,350 गांवों को फायदा होगा। उन्होंने इसके साथ ही लेह और मनाली को जोड़ने वाली सुरंग का नामकरण 'अटल टनल' करने की घोषणा की।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना रोहतांग सुरंग, जो हिमाचल प्रदेश की मनाली के साथ लेह, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर को जोड़ती है, आज से अटल सुरंग के नाम से जानी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह रणनीतिक सुरंग इस क्षेत्र का भाग्य बदल देगी। यह क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायता करेगी।

अटल जल योजना पर प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि जल का विषय वाजपेयी जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उनके हृदय के बहुत निकट था। हमारी सरकार उनके विजन को कार्यान्वित करने का प्रयास कर रही है।

श्री मोदी ने कहा कि अटल जल योजना या जल जीवन मिशन से संबंधित दिशा-निर्देश 2024 तक देश के प्रत्येक घर में पानी पहुंचाने के संकल्प की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने कहा कि यह जल संकट एक परिवार, एक नागरिक और एक देश के रूप में हमारे लिए बहुत चिंताजनक है और यह विकास को भी प्रभावित करता है। नवीन भारत को हमें जल संकट की प्रत्येक स्थिति से निपटने में तैयार करना है। इसके लिए हम एकजुट होकर पांच स्तरों पर कार्य कर रहे हैं।

जल शक्ति मंत्रालय ने जल को वर्गीकृत दृष्टिकोण से मुक्त किया और एक व्यापक तथा समग्र दृष्टिकोण पर बल दिया। जल शक्ति मंत्रालय से समाज की तरफ से जल संरक्षण के लिए कितने व्यापक प्रयास किए गए हैं। एक तरफ जल जीवन मिशन प्रत्येक घर में पाइप जलापूर्ति पहुंचाने की दिशा में कार्य करेगा और दूसरी ओर अटल जल योजना उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देगा, जहां भूजल बहुत कम है।

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि जल शक्ति मंत्रालय ने जल को वर्गीकृत दृष्टिकोण से मुक्त किया और एक व्यापक तथा समग्र दृष्टिकोण पर बल दिया। हमने देखा है कि जल शक्ति मंत्रालय से समाज की तरफ से जल संरक्षण के लिए कितने व्यापक प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ जल जीवन मिशन प्रत्येक घर में पाइप जलापूर्ति पहुंचाने की दिशा में कार्य करेगा और दूसरी ओर अटल जल योजना उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देगा, जहां भूजल बहुत कम है।

जल प्रबंधन में बेहतर प्रदर्शन करने में ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए श्री मोदी ने कहा कि अटल जल योजना में एक प्रावधान किया गया है, जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को अधिक आवंटन दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि 70 वर्षों में 18 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 3 करोड़ के पास पाइप जलापूर्ति की सुविधा पहुंच पाई है। अब हमारी सरकार ने पाइपों के जरिए अगले 5 वर्षों में 15 करोड़ घरों में पीने के स्वच्छ पानी की सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि जल संबंधित योजनाएं प्रत्येक ग्राम स्तर पर स्थिति के अनुसार बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के लिए दिशा-निर्देश तैयार करते समय इस पर ध्यान दिया गया है।

श्री मोदी ने यह भी कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकारें दोनों ही अगले 5 वर्षों में जल संबंधित योजनाओं पर 3.5 लाख करोड़ रुपये व्यय करेंगी। उन्होंने प्रत्येक गांवों के लोगों से एक जल कार्य योजना बनाने और एक जल निधि सृजित करने का अनुरोध किया। किसानों को एक जल बजट बनाना चाहिए, जहां भूजल बहुत कम है।

अटल भूजल योजना (अटल जल)

अटल जल की रूपरेखा, सहभागी भूजल प्रबंधन के लिए संस्थागत संरचना को सुदृढ़ करने तथा सात राज्यों अर्थात गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में टिकाऊ भूजल संसाधन प्रबंधन के लिए समुदाय स्तर पर व्यवहारगत बदलाव लाने के मुख्य उद्देश्य के साथ बनाई गई है।

इस योजना के कार्यान्वयन से इन राज्यों के 78 जिलों में लगभग 8,350 ग्राम पंचायतों को लाभ पहुंचने की उम्मीद है। अटल जल मांग पक्ष प्रबंधन पर मुख्य जोर के साथ पंचायत केन्द्रित भूजल प्रबंधन और व्यवहारगत बदलाव को बढ़ावा देगी।

5 वर्षों (2020-21 से 2024-25) की अवधि में क्रियान्वित किए जाने वाले 6,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में से 50 प्रतिशत विश्व बैंक ऋण के रूप में होगा और उनका पुनर्भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा। शेष 50 प्रतिशत का भुगतान नियमित बजटीय समर्थन से केन्द्रीय सहायता द्वारा किया जाएगा। विश्व बैंक ऋण का समस्त घटक और केन्द्रीय सहायता राज्यों को अनुदान के रूप में दी जाएगी।

रोहतांग दर्रे के नीचे सुरंग

रोहतांग दर्रे के नीचे एक रणनीतिक सुरंग बनाने का ऐतिहासिक निर्णय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिया गया था। 8.8 किलोमीटर लंबी यह सुरंग समुद्र तल से 3,000 मीटर की ऊंचाई पर विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। यह मनाली और लेह के बीच की दूरी में 46 किलोमीटर की कमी करेगी। ■

समाज की सर्वांगीण उन्नति हमारा ध्येय

| दीनदयाल उपाध्याय |

पिछले अंक का शेष...

मान लीजिए, आपकी जेब में चार दुअन्नियां पड़ी हैं। उसमें तीन तो अच्छी हैं और एक खोटी है। तो आप सबसे पहले किसे निकालकर देंगे। आप सोचेंगे कि यह खोटी दुअन्नी है। पहले इसे ही चला दो और जब कोई उसे नहीं लेगा तो दूसरी दुअन्नी दे देंगे। ऐसे बहत कम लोग हैं जो यह सोचते हैं कि मैं तो बेवकूफ़ बन ही गया। अब दूसरे को क्यों बनने दूं। लेकिन अधिकतर आदमी ऐसे होते हैं, जो सोचते हैं कि मैं तो बेवकूफ़ बन ही गया, उसे तसल्ली तभी होती है, जब वह दूसरे को बेवकूफ़ बना देता है। इसका नतीजा यह होता है कि जब हर कोई पहले खोटे सिक्के को चलाने लगता है तो असली पैसा पीछे चला जाता है। इस प्रकार ही धर्म के बारे में भी ऐसा ही हो गया होगा। इसकी जो असली चीज़ है, वह पीछे रह गई, बाक़ी चीजें ही आगे आती रहीं। कुछ लोग बुराइयों को देखते हुए कहते हैं कि हमें धर्म नहीं चाहिए। परंतु यह कहने से तो काम नहीं चलेगा। चलेगा भी तो कितने दिन? मान लो आपने एक बार कुछ सड़ी-गली चीज़ खा ली और उसके कारण हैजा हो गया। अब डर के मारे वह कहे कि मैं अब कभी कुछ नहीं खाऊंगा, तो वह जिंदा कैसे रहेगा? उसने फल खाया, लेकिन सड़ा हुआ। उसके भय के कारण अब वह अच्छा फल खाने से भी इनकार करता है तो यह बात ग़लत है। बिना फल खाए, बिना रोटी खाए वह जिंदा कैसे रह सकता है?

इसी तरह धर्म के बारे में है। लोगों ने धर्म का दुरुपयोग किया है। धर्म के संबंध में लोगों ने ऐसी बहुत सी चीजें चलाई होंगी, जिसके कारण लोगों के मन में आया होगा कि धर्म बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। धर्म के नाम पर बड़े युद्ध हुए हैं, बड़े अन्याय हुए हैं। लेकिन इतना होने पर भी धर्म का जो सत्य स्वरूप है, वह सामने नहीं आया है। उसे पहचानना, सामने लाना बहुत आवश्यक है। चार लोग अगर चीज़ों में मिलावट करके बेचते हैं, हम उन चीज़ों का बेचना ही बंद करवा दें, तब तो काम नहीं चलेगा। आवश्यकता तो इसी बात की है कि लोग एडल्टरेशन न करें। मिलावट न करते हुए वे अपनी चीज़ शुद्ध रूप में कैसे बेचें, इसकी चिंता करने की आवश्यकता है। हम यह नहीं कर सकते कि लोगों का बेचना बंद करवा दें। सड़क पर यदि एक्सीडेंट हो गया है तो लोग सड़कों पर चलना ही बंद कर दें। यह तर्क ग़लत हैं।

यह ऐसा ही तर्क है, जैसे एक बार एक सज्जन जहाज़ से जाना चाहते थे। उनकी मां ने जहाज़ से जाने के लिए उन्हें मना कर दिया। उन्होंने इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिता एक

जहाज़ से गए थे, और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि उसके दादा कहां मरे थे? तो बताया गया कि घर ही में मरे थे। फिर वह बोले कि मेरे चाचा को क्या हो गया था? मां ने कहा कि वे घर में ही मरे थे, बीमार थे, खाट के ऊपर ही मरे। रात को जब खाट के ऊपर सोने का वक्त आया तो उन्होंने खाट पर सोने से इनकार कर दिया। मां ने पूछा कि खाट पर क्यों नहीं सोते तो उसने जवाब दिया कि मेरे बाबा और चाचा खाट पर मर गए थे, इसलिए मैं खाट पर नहीं सोऊंगा। मां ने कहा कि बड़ा बेवकूफ़ है। ऐसा भी कोई सोचता है। तब उसने कहा कि मेरे पिता जहाज़ पर गए और मर गए तो मुझे क्यों मना करती हो? तो इस तरह यह तर्क बिल्कुल ग़लत है कि एक्सीडेंट हो गया तो सड़क पर चलना बंद कर देना चाहिए। एक्सीडेंट कैसे रोकें, इस पर विचार करना होगा।

धर्म का सत्य रूप कैसे सामने आएगा, इसका विचार करने की आवश्यकता है। जब हम धर्म का विचार करते हैं तो पहला प्रश्न सामने आता है कि धर्म का अर्थ क्या? यहां से सोचें तो धर्म का अर्थ वास्तव में एक संक्षिप्त सी व्याख्या है। यह व्याख्या यह है कि 'धारणात धर्ममित्याह, धर्मो धारयते प्रजा'- मनुष्य को जिससे धारणा हो. वह उसका धर्म है और किसी भी चीज़ को लें। पेड़ है, पशु-पक्षी हैं, लोहा, तांबा, मिट्टी जो कुछ भी है, वही उसकी धारणा है, उसका धर्म है। सर्य से जिसकी धारणा हो, वह उसका धर्म है, यानी किसी भी चीज़ की धारणा जैसे मैंने पहले बताया कि अग्नि है तो अग्नि की धारणा उसकी दाहकता से है। अग्नि के ऊपर पानी डाल दीजिए तो क्या होगा? पानी डालने के बाद उसकी दाहकता तो समाप्त हो जाएगी। बाक़ी की अग्नि बनी रहेगी। जैसे जलते हुए कोयले पर पानी डालते हैं तो उसका स्वरूप तो वही रहता है, लेकिन दाहकता समाप्त हो जाती है और जब उसके अंदर की दाहकता निकल गई तो उसे कोई अग्नि नहीं कह सकेगा। फिर उसे बुझा हुआ कोयला कहते हैं।

इसी तरह आप देखें कि यह जो धर्म है। इसके ऊपर धारणा होनी चाहिए। यह पहली चीज़ है और जब हम पहली चीज़ को विचार करें तो हमें व्यक्ति का विचार करना होगा। धारणा होती है कि हम व्यक्ति का विचार करें, क्योंकि अपना धर्म क्या है? तो कहना होगा कि जिससे अपनी धारणा हो। जिससे हम जिंदा रह सकें। तो सामान्य चीज़ आएगी कि सब ठीक है, भोजन करना चाहिए। इससे धारणा होती है। भोजन करना धर्म है, उससे आदमी टिकता है, शरीर जिससे टिका रहे। यदि शरीर जिससे नहीं टिकता, हमने ऐसा कुछ किया तो वह अधर्म होगा। इसलिए हमारे यहां आत्महत्या करना

पाप माना जाता है। यह कभी भी पुण्य नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें से शरीर की धारणा समाप्त होती है। तो यह धारणा रहनी चाहिए कि शरीर टिका रहे।

फिर भोजन के बारे में विचार आता है कि वही भोजन करना चाहिए जो स्वास्थ्यवर्धक हो। यदि स्वास्थ्य ख़राब करनेवाला भोजन किया जाए, तो कहना होगा कि वह धर्म के अनुकूल नहीं है। यदि शराब पी। शराब पीने के कारण शरीर की शक्ति क्षीण होती चली जाती है तो कहना पड़ेगा कि वह धर्म नहीं है। धर्म फिर क्या है? क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? तो सीधा सा आधार यह है कि जिसके कारण शरीर टिका हुआ है, वह धर्म है और जिससे शरीर नहीं टिकता, वह अधर्म है। हम गेहूं पचा सकते हैं, अन्न पचा सकते हैं और यदि हमने पत्थर खाना शुरू कर दिया तो सही नहीं होगा। कोई कहे कि पत्थर तो गेहूं से ज्यादा मज़बूत होता है। लेकिन हमारा शरीर केवल गेहूं से टिकता है, पत्थर से नहीं। मोर पत्थर खाता है, कंकड़ चुगता है, उसका शरीर पत्थर से ही टिक जाता है। उसके पास पत्थर को हज़म करने की ताक़त है। शरीर के लिए भोजन परिस्थिति के अनुसार ही देना चाहिए। जैसे कोई मरीज है, उसे दाल का पानी, फटा हुआ दूध आदि ही देना है। वही उसके लिए उपयोगी होगा। लेकिन यदि कोई पेचिश का मरीज है, उसे हलवा खिला दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई हट्टा-कट्टा आदमी है, उसे सिर्फ चार गिलास मट्ठा दिया और कहा कि पूरे दिन ऐसे ही रहो। तो भी गड़बड़ हो जाएगी। उसके शरीर को टिकाने के लिए कुछ रोटी आदि का आधार तो चाहिए। भोजन प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता के अनुसार ही चलता है। यदि छोटा-सा बच्चा है, उस बच्चे के अभी दांत भी नहीं निकले हैं, उसे मां का दूध नहीं मिला तो उसे गाय का दूध (जो मां के दूध के सबसे निकट है) पिलाना पड़ेगा। उस समय हम कहें कि नहीं, नहीं इसमें क्या है, बाक़ी लोगों की तरह इसे भी जरा अच्छी-अच्छी रोटी चुपड़कर खिला दी जाए। उस बच्चे का क्या हाल होगा, आप सोच लीजिए और किसी हट्टे-कट्टे नौजवान को कहा जाए कि वह निपिल से थोड़ा सा दूध पी ले। तब तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए शारीरिक अवस्था और आयु के साथ भोजन का चयन करते हैं।

अब यह नहीं कि यूनीफार्म की तरह भोजन के नियम बना दिए जाएं कि हर व्यक्ति को, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, वही भोजन दिया जाए। तब तो गड़बड़ हो जाती है। जिस तरह खेत में काम करनेवाले का भोजन दफ्तर में काम करनेवाले बाबू को खिला दिया जाए और बाबू का भोजन खेत के किसान को खिला दिया तो मुश्किल हो जाएगी। सभी का भोजन अलग-अलग होता है। जो सैनिक युद्धभूमि में जाकर लड़ाई करता है, उसे घास-पात का भोजन और जो पंडित घर में बैठकर तप, जाप, वेद-पाठ आदि करता है, उसे मांस खिला दिया जाए तो परेशानी हो जाएगी। भोजन भी प्रत्येक व्यक्ति की धारणा के अनुकूल होना चाहिए। शरीर की धारणा के लिए वैसा ही भोजन करना चाहिए।

मन को ही नहीं, इसके साथ-साथ बुद्धि को भी ठीक रखना पड़ेगा। यदि मन भी ठीक है और शरीर भी हट्टा-कट्टा है और केवल बुद्धि ही ठीक नहीं है तो व्यक्ति पागल के समान इधर-उधर भागा फिरेगा

लेकिन इतना ही नहीं, इसके आगे भी कुछ है। शरीर का जैसे सुख आवश्यक है, शरीर की धारणा जैसे आवश्यक है, वैसे ही मन का भी विचार करना पड़ता है। उसकी भी आवश्यकता है और जब मन का विचार करेंगे तो हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए जिससे कि वह शरीर को स्वस्थ रख सके, वैसे ही मन को भी सुखी रखना चाहिए। मन का सुख नहीं और शरीर का सुख मिल गया तब फिर बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। मन के सुख के लिए ही हमारे यहां कहा गया है कि जहां मन का सुख नहीं, वहां पर कुछ नहीं और जिसे मन का सख प्राप्त है, उसे सब कुछ प्राप्त है। मन सुखी होगा तो तन भी सुखी होगा। जैसे किसी को फांसी की सज़ा सुनाई गई हो, उसे अच्छा-अच्छा भोजन दिया जा रहा हो तो भी उसे कुछ भी नहीं भाता, उसका शरीर भी गिरता जाता है।

आप तो जानते हैं कि अपने यहां गधे के लिए संस्कृत में वैशाखनंदन शब्द का प्रयोग होता है। इसके पीछे किंवदंती है। जब वर्षा के दिन आते हैं। चारों ओर खूब घास होती है तो उस घास को देखकर बेचारा गधा सोचता है कि इतनी ज्यादा घास है, इसको मैं कैसे खाऊंगा और इसलिए उस चिंता के कारण दुबला होता चला जाता है। जैसे अपने कार्यकर्ता स्वयंसेवक भी दुबले होते चले जाते हैं कि इतना बड़ा अपना समाज है, कैसे करेंगे इसका संगठन? यही कारण है कि गधा कितना भी खाता जाता है, लेकिन चिंता के कारण उसके शरीर को नहीं लगता। लेकिन जब वर्षा ख़त्म हो जाती है। गरमी के दिनों में जेठ और वैशाख की गरमी के कारण घास का एक तिनका भी नहीं दिखाई देता, तब गधा सोचता है कि मैंने कितना पराक्रम कर लिया है। सारी घास खा गया। ऐसा सोच-सोचकर फूलकर कुप्पा हो जाता है। आदमी भी शायद खाने से मोटा नहीं होता। इसका संबंध मन से है। यदि अच्छा हो तो स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। हम कहीं गए और वहां जाकर खिन्न मन से बैठ गए तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तो एक सज्जन ने कहा कि सुगंधि फूल में नहीं, नाक में होती है। मैं कहूंगा कि नाक में भी नहीं, वह मन में होती है। मन अगर ठीक न रहा तो फिर सुगंधि नहीं आएगी।

मन को ही नहीं, इसके साथ-साथ बुद्धि को भी ठीक रखना पड़ेगा। यदि मन भी ठीक है और शरीर भी हट्टा-कट्टा है और केवल बुद्धि ही ठीक नहीं है तो व्यक्ति पागल के समान इधर-उधर भागा फिरेगा। इसलिए सुख यदि चाहिए तो बुद्धि को भी ठीक रखना होगा। जिस तरह मृग रेगिस्तान में दूर मरीचिका देखता है। सूर्य की किरणों के कारण वहां जल का आभास होता

है तो वह वहां पानी पीने के लिए पहुंच जाता है। यह ठीक है कि गरमी के दिनों में प्यास तो लगेगी ही। लेकिन उसमें बुद्धि नहीं होती कि वह सोचे कि यह रेत है और सूर्य की किरणों के कारण पानी की तरह दिखाई दे रही है। इसी तरह मनुष्य की ग़लत बुद्धि भी उसे सही रास्ते से हटाकर ग़लत रास्ते पर लाकर पटक देती है।

'त्रयानात् धूर्तानाम्' वाली कथा हम सबको मालूम है कि किस प्रकार एक ब्राह्मण एक बकरी का बच्चा लेकर आ रहा था तो रास्ते में उसे तीन धूर्त मिले। उन्होंने सोचा कि बकरी का बच्चा इससे लेना चाहिए। एक ने ब्राह्मण को कहा कि अरे महाराज! कहां से आ रहे हो? बोले मेले से आ रहे हैं। वे बोले, 'कुत्ते का बच्चा क्यों उठा लाए?' पंडित ने कहा कि यह तो बकरी का बच्चा है। तीनों बोले कि साफ़ दिख रहा यह तो कुत्ते का ही बच्चा है। जब उन तीनों ने ही अपनी बात को परस्पर रखा तो पंडितजी को भी लगने लगा कि शायद उसकी ही बुद्धि धोखा खा रही है। इसलिए उसने उस बच्चे को वहीं छोड़ दिया। कई बार हमारे अपने ही कारण बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाता है। इसलिए हमारी यह बुद्धि भी ठिकाने पर होनी चाहिए।

मन, बुद्धि, शरीर के साथ-साथ हमारा एक अहं भी है। उसका भी विचार करना आवश्यक हो जाता है। जब उसकी पुष्टि नहीं होती तब भी तक़लीफ़ हो जाती है। अनेक प्रकार से मनुष्य को जो कठिनाइयां होती हैं, वे सब उसके अपने अहं के कारण होती हैं। जब अहं का वह ठीक प्रकार से विचार नहीं कर पाता, उसको ठीक प्रकार से तुष्ट नहीं कर पाता, तो उससे तक़लीफ़ हो जाती है। अनेक प्रकार से मनुष्य को सब कठिनाइयां अहं के कारण ही होती हैं। एक बार एक स्त्री नई अंगूठी लाई। किसी का ध्यान उसकी अंगूठी की तरफ़ नहीं गया। वह सोच-सोचकर परेशान थी कि किसी ने पूछा तक नहीं कि वह अंगूठी कहां से लाई। उसने अपने घर में आग लगा ली। जब सभी लोग उस आग को बुझाने आए तो वह अपने अंगूठी वाले हाथ से बताने लगी कि इधर पानी डालो, उधर पानी डालो। एकदम किसी का ध्यान गया तो उसने पूछा कि यह हीरे की अंगूठी कहां से लाई? तो वह बोली कि यदि तुम पहले ही पूछ लेते तो यह आग क्यों लगती। यह जो चीज़ है अहं, उसके अंदर का यह अहं था, वह तृप्त नहीं होता था, इसलिए बेचारी ने आग लगाई। आदमी इसके लिए भी कई बार बड़े-बड़े पाप कर बैठता है। आजकल मनोवैज्ञानिक तो इसका बहुत विचार करके चलते हैं। यह जो अहं है, इसका भी ठीक प्रकार से मेल होना चाहिए।

इस अहं के आगे भी एक तत्त्व है। वह आत्मतत्त्व है, जिसका कि कल भिड़ेजी ने वर्णन किया था। उसका भी आख़िर कुछ-न-कुछ संबंध है। उसका संबंध हमारे जीवन के साथ क्या है? इसका हम थोड़ा-बहुत और विचार आगे करेंगे। इसके साथ-साथ मनुष्य की जब धारणाएं होंगी तो वास्तव में मनुष्य की धारणा होती है। व्यक्ति की धारणा को केवल एक ही चीज़ में ले लिया। किसी ने कहा कि चलो रोटी मिल जाए तो व्यक्ति की धारणा नहीं होगी। यदि इतने से ही व्यक्ति की धारणा हो जाती तो फिर रोटी को छोड़ने वाले लोग नहीं मिलते। मानसिंह ने आख़िर महाराणा प्रताप के यहां भोजन क्यों नहीं किया? यदि भोजन के कारण ही यह धारणा होती तो लोग कहते कि वाह! वाह! भोजन मिल रहा है। पहले भोजन फिर बाद में देखेंगे। ऐसे ही आजकल ब्राह्मणों को कहा जाता है न कि रूखी-सूखी मिले तो कोसों दूर, पूरी-पत्ता मिल जाए तो कोस बारह और नित पाए मालपुआ तो धाए कोस अठारह।

ऐसा ही अगर होता तो ये बाक़ी के व्रत-उपवास करनेवाले और भोजन छोड़ने वाले लोग नहीं मिलते। परंतु उसका बाक़ी के साथ संबंध आता है। इस कारण ही वास्तव में शरीर का विचार करके भी जौहर करनेवाली महारानियां कैसे आ गईं? हम इतना ही मानकर चलते कि शरीर की धारणा होती है। परंतु भोजन के साथ मन का संबंध जोड़ा, इसलिए कभी-कभी भोजन को छोड़कर हम मन की चिंता करते हैं। कभी मन हमें कुमार्ग पर ले जाता है तो उसके ऊपर हम बुद्धि का अंकुश लगा देते हैं। इसलिए धर्म का सद्विचार करके आदमी चलता है। जहां पर ये सारे विकार आते हैं। कभी-कभी ऐसी भी चीज़ हो जाती है कि जिस शरीर की धारणा को हमने सार सर्वस्व माना, उस शरीर को छोड़ने पर भी मनुष्य मानता है। ऐसा जैसे कि जौहर करनेवाली रानियां या रणक्षेत्र में अपने प्राणों की बाज़ियां लगा देनेवाला सैनिक। नहीं तो वह यह सोचेगा कि शरीर की धारणा ही सब कुछ है और इसलिए जैसा कि कई लोगों ने कहा कि 'शरीरमाद्यम खलु साधनम्' कि शरीर ही सब कुछ है। इसका अर्थ लोगों ने उलटा कर लिया। वास्तव में तो इसका अर्थ यही है कि 'आद्यम साधनम् शरीरम्'। सबसे पहला साधन शरीर है। इसलिए शरीर को ही प्रमुख मानकर चलना चहिए। वैसा यदि मानकर चलते हैं तो सैनिक सोचेगा कि शरीर बचाओ। शरीर बचा, सब कुछ बच जाएगा। ऐसा विचार करके वह चले तो जैसे ही युद्ध में लड़ने का मौक़ा आएगा, वह तो भाग जाएगा। पहले ही पलायन-वृत्ति उसके मन में आ गई। यह ठीक नहीं है। कभी-कभी तो ठीक है. भागना भी पड़ता है। भगवान कृष्ण भी रणछोड़दास कहलाए। किंतु हर सैनिक यदि रण छोड़कर भागने लगे तो यह ठीक नहीं होगा। सेना का क्या हाल होगा? ज़रा कल्पना करके हम चल सकते हैं।

इस प्रकार इस शरीर से भी कभी-कभी ऊपर आकर विचार करना पड़ता है। जहां पर कि शरीर की धारणा से भी ऊपर उठकर कोई चीज़ है, जिसके आधार पर विचार करके मनुष्य चलता है। ■

समाप्त

— पाञ्चजन्य, मई १६, १९६१, संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग : लखनऊ

मन, बुद्धि, शरीर के साथ-साथ हमारा एक अहं भी है। उसका भी विचार करना आवश्यक हो जाता है। जब उसकी पुष्टि नहीं होती तब भी तक़लीफ़ हो जाती है। अनेक प्रकार से मनुष्य को जो कठिनाइयां होती हैं, वे सब उसके अपने अहं के कारण होती हैं।

प्रथम लोक सभा के सदस्य कमल सिंह का निधन

देश की पहली लोकसभा में सदस्य रहे श्री कमल सिंह का लंबी बीमारी के बाद 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह तत्कालीन डुमरांव एस्टेट के अंतिम महाराजा थे।

श्री सिंह का निधन 5 जनवरी, 2020 को बिहार के बक्सर जिले के डुमरांव शहर में उनके निवास पर हुआ। श्री सिंह 1952 और 1957 में बक्सर निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में पहली और दूसरी लोकसभा के लिए चुने गए थे। बाद में, वह जनसंघ में शामिल हो गए और 1989 और 1991 में फिर से बक्सर सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में लोक सभा चुनाव लड़ा, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा।

बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और कई अन्य राजनेताओं ने श्री सिंह के निधन पर दुःख व्यक्त किया। बिहार सरकार ने कमल सिंह जी के लिए राज्य अंत्येष्टि की घोषणा की। 6 जनवरी को बक्सर में गंगा नदी के तट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।

बिहार के उप-मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी और वर्तमान बक्सर सांसद और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने भी सिंह की मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त किया। उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी ने कहा पूर्व सांसद कमल बहादुर सिंह जीवन पर्यंत समाज के विभिन्न क्षेत्रों खासकर शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए अपने विशिष्ट योगदान के लिए हमेशा याद किए जायेंगे।

उनके निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में अपूरणीय क्षति हुई है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा की शांति व उनके परिजनों, शुभचिन्तकों को इस दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करे। ■

नहीं रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुनीलाल

पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री मुनीलाल का 82 वर्ष की आयु में पटना में 23 दिसंबर, 2019 को निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्ति होने के बाद साल 1996 में भाजपा में शामिल हुए। श्री मुनीलाल सासाराम निर्वाचन क्षेत्र से तीन बार लोकसभा के सदस्य चुने गए। वह श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में श्रम मंत्री बने। उप-मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल और कई भाजपा नेताओं ने श्री मुनीलाल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया।

श्री मुनीलाल ने समाज के दबे, कुचले, गरीब व आदिवासी समाज की आवाज बनकर हमेशा उनको मजबूती दिया। श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी से प्रभावित होकर वे मजदूरों के हक की लड़ाई भी लड़ी। श्री मुनीलाल का जीवन संघर्ष में बीता। उन्होंने कठिन परिश्रम कर अपनी पहचान स्थापित की। इनका सामाजिक-राजनीतिक जीवन हमेशा बेदाग

रहा। इनका निधन बिहार के समस्त भाजपा परिवार तथा सासाराम लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए अपूरणीय क्षति है। ■

चुनौतियों को चुनौती देने का हमने कोई मौका नहीं छोड़ा: नरेन्द्र मोदी

अटल बिहारी वाजपेयी की 25 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संशोधित नागरिकता कानून, रामजन्मभूमि मामला और अनुच्छेद 370 का जिक्र करते हुए 25 दिसम्बर को कहा कि उनकी सरकार विरासत में मिली सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के समाधान का निरन्तर प्रयास कर रही है और उसने 'चुनौतियों को चुनौती' देने का कोई मौका नहीं छोड़ा है।

प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में कहा, 'हमें विरासत में जो भी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समस्याएं और चुनौतियां मिली हैं, उनके समाधान की हम निरन्तर कोशिश कर रहे हैं।'

उन्होंने कहा, 'अनुच्छेद 370 कितनी पुरानी बीमारी थी। कितनी कठिन लगती थी, मगर हमारा दायित्व था कि हम ऐसी कठिन चुनौतियों से पार पायें और यह आराम से हुआ... सबकी धारणाएं चूर-चूर हो गयीं। राम जन्मभूमि के इतने पुराने मामले का शांतिपूर्ण समाधान हुआ।'

श्री मोदी ने कहा कि विभाजन के बाद लाखों गरीब लोग अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत की तरफ आने को मजबूर हो गये। उन्हें नागरिकता देने का रास्ता साफ किया गया। ऐसी अनेक समस्याओं का हल देश के 130 करोड़ भारतीयों ने निकाला है।

उन्होंने कहा कि अभी जो चुनौतियां बाकी हैं, उनके समाधान के लिये भी पूरे सामर्थ्य से साथ हर भारतवासी प्रयास कर रहा है। चाहे हर गरीब को घर देना हो या फिर हर घर जल पहुंचाना हो। कितनी भी बड़ी चुनौती हो, हम चुनौती को चुनौती देने के स्वभाव के साथ निकले हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा 'यूपी में कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा की। वे खुद से सवाल पूछें कि क्या उनका यह रास्ता सही था? जो कुछ जलाया गया क्या वह उनके बच्चों के काम नहीं आने वाला था? हिंसा में जिन लोगों की मृत्यु हुई, जो लोग जख्मी हुए उनके परिवार पर क्या बीती होगी। मैं अफवाहों में आकर सरकारी सम्पत्ति को तोड़ने वालों से आग्रह करूंगा कि सार्वजनिक सम्पत्ति को बचाकर रखना उनका भी दायित्व है।'

इससे पहले, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर लखनऊ पहुंचे श्री मोदी ने लोकभवन परिसर में स्थित उनकी करीब 25 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया और पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी किया।

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद के वर्षों में हमने सबसे ज्यादा जोर अधिकारों पर दिया है, लेकिन अब हम आजादी के 75 साल पूरे होने की ओर बढ़ रहे हैं। समय की मांग है कि अब हम अपने कर्तव्यों पर भी उतना ही बल दें। सरकार का दायित्व है कि वह पांच साल नहीं, बल्कि पांच पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए काम करने की आदत बनाये। उत्तर प्रदेश सरकार इस दायित्व को निभाने का

भरपूर प्रयास कर रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सुशासन का एक ही मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमारा निरन्तर प्रयास रहा है कि सरकार से सत्ता सुख को निकालकर सेवा के संस्कार गढ़े जाएं। यह तभी सम्भव है जब आम आदमी के जीवन में सरकार का दखल कम से कम रखने की कोशिश हो। हमारा प्रयास है कि सरकार अटकाने, उलझाने के बजाय सुलझाने का माध्यम बने। आप अगर इस सरकार का मूल्यांकन करेंगे, तो यही कोशिश हर कदम पर महसूस करेंगे।

हम सुशासन के उस दौर में बढ़ रहे हैं कि आपको आवेदन करने की जरुरत ना पड़े, बल्कि सरकार खुद आकर आपसे पूछे कि कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है। श्री मोदी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि जीवन को टुकड़ों में नहीं बल्कि समग्रता में देखना होगा। यह बात सरकार के लिये भी उतनी ही सत्य है और सुशासन के लिये भी यही उपयुक्त मानदंड है। सुशासन भी तब तक सम्भव नहीं, जब तक हम समस्याओं को सम्पूर्ण, समग्रता में न सोचेंगे और न सुलझाने का प्रयास करेंगे। मुझे संतोष है कि योगी सरकार भी समग्रता की इस सोच को साकार करने का भरसक प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि हम नये वर्ष और नये दशक में प्रवेश करने जा रहे हैं, ऐसे में हमें अटल जी की एक बात जरुर याद रखनी चाहिये। वह कहते थे कि भारत की प्रगति में हर पीढ़ी के योगदान का मूल्यांकन दो मानदंडों पर होगा। पहला, हमने खुद को विरासत में मिली कितनी समस्याओं को सुलझाया है और दूसरा, राष्ट्र के भावी विकास के लिये हमने अपने प्रयासों से कितनी मजबूत नींव रखी है। इन दोनों सवालों की रोशनी में हम कह सकते हैं कि भारत साल 2020 में अभूतपूर्व उपलब्धियों के साथ प्रवेश कर रहा है।

श्री मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनीवर्सिटी का जिक्र करते हुए कहा कि यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई को समग्रता और सम्पूर्णता देगा। साथ ही, पाठ्यक्रम से लेकर परीक्षा तक इसमें एकसूत्रता, एकरूपता और स्वाभाविक एकात्म भाव होगा। यह विश्वविद्यालय मेडिकल, डेंटल, पैरामेडिकल, नर्सिंग और चिकित्सा से जुड़ी हर डिग्री को आगे बढ़ायेगा। इससे यूपी में मेडिकल की पढ़ाई की गुणवत्ता में और सुधार होगा।

श्री मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की कार्य-योजना के चार पहलू हैं। पहला प्रिवेंटिव हेल्थकेयर, दूसरा अफोर्डेबल हेल्थकेयर, तीसरा सप्लाई साइड इंटरवेंशन और चौथा मिशन मोड इंटरवेंशन। यानी स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं को मिशन मोड पर चलाना। बीमारियों पर होने वाले खर्च को बचाने का सबसे आसान तरीका है कि बीमार होने से ही बचा जाए। आम लोग स्वास्थ्य के प्रति जितने जागरूक होंगे, उनकी रोगरोधक क्षमता उतनी ही बढ़ेगी।

उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत के साथ-साथ योग भी एक तरह से मुफ्त हेल्थकेयर है। उज्ज्वला योजना, फिट इंडिया मूवमेंट भी प्रिवेंटिव हेल्थेकयर है। हर कोई दवाओं के साइड इफेक्ट से बचना चाहता है। इसमें आयुर्वेद बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। प्रिवेंटिव हेल्थकेयर के लिये हम जितना बल देंगे, उतना ही स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये हमारी चिंताएं कम होती जाएंगी। जीवनशैली के कारण जो बीमारियां आती हैं उन्हें दूर करने में भी यह कारगर हो रही है।

जैसे-जैसे गरीबों को स्वास्थ्य सेवा मिल रही है, हेल्थेकयर की मांग भी बढ़ रही है। पिछले पांच वर्षों में रिकार्ड संख्या में मेडिकल सीटें बढ़ायी गयी हैं। इसी साल पूरे देश में 75 नये मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गयी है। यह हर तीन लोकसभा सीटों पर एक मेडिकल कॉलेज बनाने के हमारे विजन की दिशा में एक प्रयास है।

श्री मोदी ने कहा कि आयुष्मान योजना से देश में 70 लाख से ज्यादा गरीबों का मुफ्त इलाज हो चुका है। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की कुल आबादी से ज्यादा तो भारत में आयुष्मान योजना के लाभार्थी हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में ही 11 लाख लोगों ने इसका लाभ लिया है।

उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे गरीबों को स्वास्थ्य सेवा मिल रही है, हेल्थेकयर की मांग भी बढ़ रही है। पिछले पांच वर्षों में रिकार्ड संख्या में मेडिकल सीटें बढ़ायी गयी हैं। इसी साल पूरे देश में 75 नये मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गयी है। यह हर तीन लोकसभा सीटों पर एक मेडिकल कॉलेज बनाने के हमारे विजन की दिशा में एक प्रयास है।

इससे पहले, लखनऊ से सांसद व रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वाजपेयी का जिक्र करते हुए कहा कि सिर्फ प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को ही नहीं, बल्कि अनेक लोगों को भरोसा था कि वाजपेयी एक दिन जरूर भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। दूसरे दलों में भी उनका बहुत मान-सम्मान था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी श्री वाजपेयी को याद करते हुए अपनी सरकार के कार्यों का जिक्र किया। ■

पीएम किसान के तहत 6 करोड़ लाभार्थियों के लिए 2,000 रुपये की तीसरी किस्त जारी

प्रधानमंत्री ने कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किए

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 जनवरी को कर्नाटक के तुमकुर में आयोजित एक जनसभा में राज्यों के प्रगतिशील किसानों को कृषि मंत्री के कृषि कर्मण पुरस्कार और प्रशंसा पुरस्कार वितरित किए। उन्होंने दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तक की अवधि के लिए पीएम किसान (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि) के तहत 2000 रुपये की तीसरी किस्त भी जारी की। इससे लगभग 6 करोड़ लाभार्थियों को लाभ मिलेगा।

उन्होंने कर्नाटक के चुनिंदा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) भी वितरित किए। प्रधानमंत्री ने 8 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों को पीएम किसान के तहत प्रमाण पत्र भी सौंपे। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के चुनिंदा किसानों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं और फिशिंग वेसल्स ट्रांसपोंडरों की चाबियां भी सौंपी।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नए वर्ष पर नए दशक की शुरुआत में अन्नदाता- हमारे किसान भाइयों और बहनों को देखना उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। उन्होंने 130 करोड़ देशवासियों की ओर से देश के किसानों को धन्यवाद दिया।

श्री मोदी ने कहा कि कर्नाटक की भूमि ने वह ऐतिहासिक क्षण भी देखा है जब देश के लगभग 6 करोड़ किसानों को उनके निजी खातों में सीधे ही पीएम किसान योजना के तहत पैसा वितरित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा इस योजना की तीसरी किश्त के तहत कुल 12 हजार करोड़ रुपये जमा किए गए हैं।

उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जिन राज्यों ने 'पीएम किसान सम्मान निधि योजना' लागू नहीं की है, वे भी ऐसा करेंगे और राजनीतिक दल राजनीति से ऊपर उठकर अपने राज्यों के किसानों की मदद करेंगे।

प्रधानमंत्री ने स्मरण किया कि देश में एक दौर ऐसा भी था, जब देश में गरीब के लिए एक रुपया भेजा जाता था तब उनमें से लाभार्थियों तक केवल 15 पैसे ही पहुंचते थे और अब बिचौलियों के हस्तक्षेप के बिना पैसा सीधे गरीबों तक पहुंच रहा है।

श्री मोदी ने कहा कि जो सिंचाई परियोजनाएं कई दशकों से रुकी हुई थी वे अब लागू की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र फसल बीमा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और 100 प्रतिशत नीम लेपित यूरिया जैसी योजनाओं के साथ देश के

किसानों के हितों को हमेशा प्राथमिकता देता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों के कारण देश में मसालों का उत्पादन और निर्यात दोनों में काफी बढ़ोतरी हुई है। "भारत में मसाला उत्पादन में 2.5 मिलियन टन से अधिक वृद्धि हुई है, इसलिए निर्यात भी लगभग 15 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 19 हजार करोड़ रुपये का हो गया है।"

उन्होंने कहा कि बागवानी के अलावा दक्षिण भारत की दालों, तेल और मोटे अनाजों के उत्पादन में भी बड़ी हिस्सेदारी है। प्रधानमंत्री ने कहा, "देश में दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बीज केन्द्रों का निर्माण किया गया है, ऐसे 30 से अधिक केंद्र कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में ही स्थित हैं।"

मत्स्य पालन क्षेत्र पर सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार इस क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए तीन स्तरों पर काम कर रही है।

पहला - मछुआरों को वित्तीय सहायता के माध्यम से गांवों में मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करना।

दूसरा- नीली क्रांति योजना के तहत मछली पकड़ने वाली नौकाओं का आधुनिकीकरण।

और तीसरा -मछली व्यापार और व्यवसाय से संबंधित आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण।

प्रधानमंत्री ने कहा, "मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा से जोड़ा गया है। मछली पालक किसानों की सुविधा के लिए बड़ी नदियों और समुद्र में नए मछली बंदरगाह बनाए जा रहे हैं। आधुनिक बुनियादी ढांचे के लिए 7.50 हजार करोड़ रुपये के विशेष कोष भी सृजन किया गया है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए मछुआरों की नावों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और इसरो की मदद से मछुआरों की सुरक्षा के लिए उनकी नावों में नेविगेशन उपकरण भी लगाए जा रहे हैं।"

देश की पोषण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री मोदी ने पोषक अनाजों, बागवानी और जैविक खेती के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार में एक नई श्रेणी बनाने का भी अनुरोध किया। इससे इन क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले लोगों और राज्यों को प्रोत्साहन मिलेगा। ■

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिये 8 फरवरी को मतदान, 11 फरवरी को होगी मतगणना

दिल्ली विधानसभा की सभी सीटों के लिये मतदान 8 फरवरी को और मतगणना 11 फरवरी को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री अरोड़ा ने संवाददाताओं को बताया, ''दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिये नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 जनवरी है, जबकि नामांकन पत्र की जांच 22 जनवरी को होगी।'' उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 24 जनवरी है।

दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं जिसमें

से 58 सामान्य श्रेणी की है जबकि 12 सीटें अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित हैं। श्री अरोड़ा ने छह जनवरी को बताया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में विभिन्न कानून अनुपालन एजेंसियों के साथ व्यापक चर्चा की गई है जिसमें सुरक्षा से जुड़े आयाम भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव तरीख की घोषणा के बाद ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी।

युवा वैज्ञानिक देश की पूंजी हैं: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री का युवा वैज्ञानिकों को संदेश: नवोन्मेष, पेटेंट, उत्पादन और समृद्धि

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 3 जनवरी को यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, बेंगलुरु में 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस (आईएससी) का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा, 'भारत की विकास गाथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र की उपलब्धियों पर निर्भर है। भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष के परिदृश्य में क्रान्तिकारी बदलाव की आवश्यकता है।'

उन्होंने कहा, 'युवा वैज्ञानिक देश की पूंजी हैं और उनके लिए मेरा संदेश है- नवोन्मेष, पेटेंट, उत्पादन और समृद्धि।' इन चारों कदमों से भारत का तेजी से विकास होगा। 'लोगों के लिए और लोगों के द्वारा नवोन्मेष हमारे न्यू इंडिया की नीति है।'

श्री मोदी ने कहा, 'न्यू इंडिया को प्रौद्योगिकी और तार्किक मनोदशा की जरूरत है ताकि हम अपने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों को एक नई दिशा प्रदान कर सकें।' उन्होंने कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ऐसी स्थिति का निर्माण करते हैं, जहां अवसर सभी के लिए उपलब्ध होते हैं और यह समाज को एकता के सूत्र में पिरोने की भूमिका भी निभाता है।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास से सस्ते स्मार्ट फोन और डाटा उपलब्ध हैं। सभी लोग इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, जबकि कुछ वर्षों पहले तक यह सुविधा गिने-चुने लोगों तक ही सीमित थी। आम आदमी अब यह भरोसा करने लगा है कि वह सरकार से अलग नहीं है। वह सरकार से सीधे रूप से जुड़ सकता है और अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा सकता है।'

श्री मोदी ने युवा वैज्ञानिकों को प्रेरित करते हुए कहा कि उन्हें ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्य करना चाहिए, जहां किफायती और बेहतर नवोन्मेष के लिए अनेक अवसर मौजूद हैं। 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम - 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी : ग्रामीण विकास' के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के कारण ही सरकार के कार्यक्रम जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे हैं।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने रेखांकित करते हुए कहा कि विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा किए गए विज्ञान और इंजीनियरिंग प्रकाशन की संख्या के आधार पर भारत का दुनिया में तीसरा स्थान है। 'मुझे जानकारी दी गई है कि विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा किए गए विज्ञान और इंजीनियरिंग प्रकाशनों के संदर्भ में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। इस मामले में देश 10 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ रहा है, जबकि वैश्विक औसत 4 प्रतिशत का है।'

उन्होंने कहा कि नवोन्मेष सूचकांक में भी भारत की स्थिति बेहतर हुई है और देश 52वें स्थान पर है। सरकारी कार्यक्रमों के द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान जितने इन्क्यूबेटर निर्माण किए गए हैं, उतना पिछले 50 वर्षों में नहीं हुआ था।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सुशासन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बड़े पैमाने

पर प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। कल हमारी सरकार ने 6 करोड़ लाभार्थियों को पीएम-किसान कार्यक्रम के तहत किस्त जारी किए। यह केवल आधार सक्षम तकनीक के कारण संभव हुआ। इसी तरह शौचालय निर्माण और गरीबों को बिजली आपूर्ति में प्रौद्योगिकी ने सहायता प्रदान की। जियो टैगिंग और डाटा साइंस की तकनीक के कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की कई परियोजनाएं समय पर पूरी हुईं।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'हम विज्ञान कार्यों की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और लालफीताशाही को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रभावी तरीके से उपयोग कर रहे हैं।'

उन्होंने जोर देते हुए कहा कि डिजिटलीकरण, ई-कॉमर्स, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सेवाएं ग्रामीण लोगों को प्रभावी ढंग से सहायता प्रदान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास के कई पहलों विशेषकर किफायती कृषि एवं खेत से उपभोक्ता तक आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि उन्हें पराली को जलाना, भू-जल स्तर को बनाए रखना, संचारी रोग की रोकथाम, पर्यावरण अनुकूल परिवहन आदि के लिए प्रौद्योगिकी समाधान ढूंढ़ने चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आई-एसटीईएम पोर्टल का भी शुभारंभ किया। ■

नरेंद्र मोदी सरकार ने 40 लाख लोगों को अपने घर का मालिक बनाया: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 26 दिसंबर को पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के पहले स्मार्ट एवं ट्रांजिट ओरिएन्टेड डेवलपमेंट (टीओडी) प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक नई कार्य संस्कृति इस देश के सामने रखी है, अब जो सरकार भूमि पूजन करेगी वही उसका लोकार्पण भी करेगी।

श्री शाह का कहना था कि लाल किले की प्राचीर से श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2024 से पहले देश के हर घर के अंदर नल से शुद्ध पीने के पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा और दिल्ली भी देश का हिस्सा है इसलिए राज्य सरकार जनता को गुमराह न करे।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के पहले स्मार्ट एवं ट्रांजिट ओरिएन्टेड डेवलपमेंट (टीओडी) प्रोजेक्ट के माध्यम से विकास का नया आयाम लिखा जाएगा। उनका कहना था कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में एक के बाद एक कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है।

श्री शाह ने कहा कि सालों से अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे लोगों की समस्या का निवारण किया गया और 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को लाभ प्राप्त हो सका। श्री नरेंद्र मोदी सरकार ने यह तय किया कि सभी अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत कर वहां रहने वालों को अपने घर का मालिक बनाया जाए और दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए संसद में बिल पास कराकर कानून बनाया।

श्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली की सरकार ने 57 महीने तक कुछ नहीं किया और आखिरी के 3 महीने में तरह-तरह के विज्ञापन देकर जनता को भ्रमित किया जा रहा है, दिल्ली की जनता 60 महीने की सरकार चाहती है 3 महीने की सरकार नहीं चाहती।

श्री शाह का कहना था कि गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व पर करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया जिससे श्रद्धालु वहां जाकर मत्था टेक सकें। उनका यह भी कहना था कि गुरु नानक देव ने उस समय प्रकाश की ज्योति जुलाई, जब देश को सबसे ज्यादा इस बात की जरूरत थी।

उन्होंने बताया कि श्री नरेंद्र मोदी सरकार जनता के हितों के लिए बहुत से काम कर रही है और जहां झुग्गी, वहां मकान का कॉन्सेप्ट सबसे पहले देश के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी ने लांच किया था।

श्री शाह ने कहा कि दिल्ली के अंदर एक समर्पित साइकिल पथ का निर्माण करने पर विचार किया जा रहा है जिससे प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी ही, श्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री का कहना था कि अहमदाबाद के साबरमती फ्रंट की तर्ज पर यमुना के दोनों किनारों पर सौन्दर्यीकरण किया जाएगा।

श्री अमित शाह ने कहा कि पूरे देश की जनता द्वारा केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान भारत का लाभ लिया जा रहा है, किंतु दिल्ली की जनता इस लाभ को नहीं ले पा रही है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली के गरीबों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान योजना का लाभ मिलना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि सीएए पर विपक्ष ने एक भ्रांति पैदा की और दिल्ली की शांति को भंग किया गया। श्री शाह ने कहा कि पीने के पानी के सैंपल सबसे ज्यादा दिल्ली सरकार के फेल हुए हैं। श्री अमित शाह ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के विकास के लिए हजारो करोड़ रुपये के कार्य किए हैं। ■

अब भारत के 125 करोड़ निवासियों के पास आधार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने 27 दिसंबर को यह घोषणा की कि आधार परियोजना ने 125 करोड़ के अंक को पार करके नई उपलब्धि हासिल की है। इसका मतलब यह है कि भारत के 125 करोड़ से अधिक निवासियों के पास 12 अंकों की विशिष्ट पहचान उपलब्ध है।

यह उपलब्धि आधार धारकों द्वारा आधार के प्राथमिक पहचान दस्तावेज के रूप में तेजी से बढ़ते उपयोग के कारण हासिल हुई है। यह इस तथ्य से यह स्पष्ट है कि आधार-आधारित प्रमाणीकरण सेवाओं का शुरुआत से अब तक लगभग 37,000 करोड़ बार उपयोग हो चुका है। वर्तमान में यूआईडीएआई को प्रतिदिन लगभग 3 करोड़ प्रमाणीकरण अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं।

इसके अलावा आज नागरिक आधार में अपने विवरण को अद्यतन रखने के अधिक इच्छुक हैं। यूआईडीएआई ने अब तक लगभग 331 करोड़ सफल आधार अपडेट (बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय) दर्ज किए हैं। वर्तमान में यूआईडीएआई को रोजाना लगभग 3-4 लाख आधार अपडेट अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। ■

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), 2019: महत्वपूर्ण बिन्दु

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर देश का धार्मिक आधार पर बंटवारा न हुआ होता। कांग्रेस की नीतियों के कारण ही देश का धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। 1950 में हुए नेहरू-लियाकत समझौते में दोनों संप्रभु राष्ट्रों (भारत और पाकिस्तान) ने यह वादा किया कि वे अपने-अपने देश के अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे। आजादी के बाद भारत में अल्पसंख्यकों की बढ़ी हुई जनसंख्या इस बात का प्रमाण है कि भारत अपने वादे पर खरा उतरा, लेकिन मजहबी राष्ट्र पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की घटती आबादी यह बताती है कि ये राष्ट्र अपने वादे में असफल रहे। पाकिस्तान द्वारा इस समझौते के उल्लंघन की बात भारतीय संसद में बार-बार उठायी गयी। 1966 में जन संघ के सांसद निरंजन वर्मा ने समझौते की स्थिति की जानकारी मांगी, तो तत्कालीन विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह ने जबाव में कहा कि पाकिस्तान लगातार अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित कर रहा है। 1970 में तत्कालीन विदेश मंत्री दिनेश सिंह ने भी इस समझौते पर सरकार को असहाय बताया और कहा कि 20 साल बाद भी शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान उनकी सुरक्षा का वादा पूरा नहीं कर रहा है। आज भी पाकिस्तान में यही स्थिति है। नागरिकता संशोधन अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी, इन बातों से ही स्पष्ट हो जाता है।

महत्वपूर्ण प्रश्न

1. नागरिकता संशोधन कानून (CAA) क्या है?

नागरिकता संशोधन कानून की सहायता से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण वहां से विस्थापित हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म के वे लोग जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 की निर्णायक तारीख तक भारत में प्रवेश कर लिया है, वे सभी भारत की नागरिकता के पात्र होंगे।

2. मुसलमानों को इससे बाहर क्यों रखा गया है?

पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश संवैधानिक मुस्लिम देश हैं। वहां धर्म के नाम पर मुस्लिम उत्पीड़ित नहीं होते, इसलिए उन्हें इस एक्ट में शामिल नहीं किया गया है। स्मरण रहे कि इस अधिनियम में उत्पीड़ित समुदायों के विशिष्ट वर्ग को लाभ दिया गया है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है।

3. क्या पूर्वोत्तर के राज्यों में यह लागू होगा?

नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रावधान, संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। इनर लाइन परमिट के तहत विनियमित क्षेत्रों को भी इससे छूट दी गई है। मणिपुर को भी ILP के दायरे में लाया गया है।

4. नागरिकता कानून, 1955 के अनुसार अवैध प्रवासी कौन हैं?

वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करने वाले लोग, घुसपैठिये या वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करने वाले वे लोग जो स्वीकृत अवधि के बाद भी वापस नहीं गए हैं, वे सभी अवैध प्रवासी हैं, घुसपैठिये हैं।

5. इसके खिलाफ प्रदर्शन क्यों हो रहा है?

वोटबैंक की राजनीति करने के लिए विपक्ष भ्रम फैला रहा है। मुसलमानों में यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि यह मुसलमानों से देश की नागरिकता छीन लेने का कानून है। यह झूठ प्रचारित किया

जा रहा है कि इस कानून से भारत के मुस्लिमों को घुसपैठिया बताया जायेगा। यह भ्रामक कुप्रचार किया जा रहा है कि इस कानून से NRC बनाया जायेगा। हताश विपक्ष मुसलमानों में भय व्याप्त कर कुत्सित राजनीति कर रहा है।

कांग्रेस का देश के साथ धोखा

इस ऐतिहासिक समय में कांग्रेस भारत विभाजन की अपनी ऐतिहासिक गलतियों पर प्रायश्चित करने से एक बार पुनः चूक गई। इस कानून का विरोध करके कांग्रेस ने एक बार पुनः सिद्ध कर दिया कि उसका गांधी जी के वचन, भावना और उनके दर्शन से अब कोई संबंध नहीं है। नेहरू-लियाकत समझौते के अंतर्गत जो भावना निहित रही है, उसी भावना का सम्मान नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 में किया गया है। यह भारत सरकार की धार्मिक कारणों से पीड़ित विस्थापितों को सुरक्षा देने की सुस्थापित नीति का अनुकरण है। किंतु यह कांग्रेस की दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति है जो गांधी नेहरू के द्वारा स्थापित नीति का विरोध करके मानवाधिकारों को कुचलने का काम कर रही है। इसी को विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है।

पूर्वोत्तर राज्यों के हित सुरक्षित

जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उनके अधिकारों, भाषा, संस्कृति, सामाजिक पहचान को सुरक्षित करने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए भी इसमें पर्याप्त प्रावधान हैं। जनजातीय इलाकों पर यह बिल लागू नहीं होगा। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में जो सुरक्षा दी गई है। उसी को आगे बढ़ाते हुए, छठे भाग (6th Schedule) में असम, मेघालय, त्रिपुरा और अब मणिपुर को भी नोटिफाई किया जा चुका है।

विपक्ष: क्षुद्र स्वार्थों की राजनीति

विपक्ष समाज में भ्रम फैलाकर क्षुद्र स्वार्थों की राजनीति कर रहा है। उसका यह कहना है कि सरकार को यह अधिनियम बनाने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। नागरिकता का मुद्दा संविधान के भाग II में अनुच्छेद 11 पर निर्भर था, जो संसद को भारतीय नागरिकता के लिए एक विस्तृत रुपरेखा तैयार करने का विशेषाधिकार देता है। इसके कारण नागरिकता अधिनियम, 1955 अस्तित्व में आया। इसीलिए, यह कहना गलत है कि संसद को नागरिकता के मानदंडों में बदलाव लाने का कोई अधिकार नहीं है, यह तर्क संविधान निर्माताओं के इरादों के विपरीत है। सच्चाई यह है कि संविधान सभा ने कभी भी नागरिकता के मानदंडों को अंतिम रूप नहीं दिया, बल्कि संविधान ने संसद को भारतीय नागरिकता के मानदंड को निर्धारित कर उसे अंतिम रूप देने का अधिकार दिया है। ■

कुछ प्रमुख वक्तव्य

इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो विस्थापित भारत में रहने के लिए आए हैं, उन्हें नागरिकता मिलना ही है। यदि इस संबंध में कानून अपर्याप्त हो तो कानून को परिवर्तित किया जाना चाहिए।

जवाहर लाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री

— (5 नवंबर, 1950 को संसद में दिया गया वक्तव्य)

जिन हालात के कारण मुझे इस्तीफा देना पड़ा वे मूलतः पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ बर्ताव से जुड़े हैं। बंगाल समस्या कोई प्रादेशिक नहीं है। यह अखिल भारतीय स्तर का मुद्दा है और इसके उचित समाधान पर ही शांति एवं संपन्नता टिकी है। पूरे देश की आर्थिक एवं राजनीतिक शांति व संपन्नता टिकी है।

श्यामा प्रसाद मुकर्जी

भारत के प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल में पूर्व मंत्री के रूप में

—(उद्योग और आपूर्ति मंत्री पद से इस्तीफा देने पर संबोधन, 19 अप्रैल, 1950)

जहां तक हमारे देश के विभाजन के बाद शरणार्थियों के प्रति व्यवहार का संबंध है, बांग्लादेश जैसे देशों में अल्पसंख्यकों ने उत्पीड़न सहा है और यह हमारा नैतिक दायित्व है कि यदि ये अभागे लोग हमारे देश में शरण मांगते हैं, इनको नागरिकता देने में हमारा रवैया उदार होना चाहिए।

— **डॉ. मनमोहन सिंह,** राज्य सभा में 18 दिसंबर, 2003

माकपा नेता **प्रकाश करात** ने बंगाली शरणार्थियों के नागरिकता के मुद्दे पर डॉ. मनमोहन सिंह को 22 मई, 2012 को पत्र लिखा और कहा– ...अल्पसंख्यक बांग्लादेश जैसे देशों में उत्पीड़न का शिकार हुए हैं। यह शरणार्थी हमारे देश में शरण लेने के लिए बाध्य हैं। यह हमारा नैतिक दायित्व है कि इन दुर्भाग्यपूर्ण लोगों को नागरिकता देने में हमें उदार रहना चाहिए।

तरुण गोगोई, असम के मुख्यमंत्री के रूप में 20 अप्रैल, 2012 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ज्ञापन सौंपकर अनुरोध किया कि पड़ोसी देश के अल्पसंख्यक शरणार्थी भेदभाव और धार्मिक प्रताड़ना से बंटवारे के समय भारत आए हैं, उनके साथ विदेशियों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए।

तृणमूल कांग्रेस की नेता **ममता बनर्जी** ने 2005 में संसद के वेल में आकर विरोध करते हुए कहा था कि बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ विनाशकारी हो चुका है। ■

नागरिकता संशोधन अधिनियम- क्या यह नैतिक है? क्या यह संवैधानिक है? नहीं, यह दोनों का समावेश है!

धर्मेंद्र प्रधान

छोटी-सी "नागरिकता" का जन्म यमुना नदी के तट पर बसी उत्तरी दिल्ली की कॉलोनी मजनूं का टीला के जर्जर हो चुके एक शरणार्थी शिविर में हुआ था। उसके माता-पिता पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न से बचने के लिए यहां आ गए थे। उन्होंने नागरिकता विधेयक पारित होने के बाद अपनी बच्ची का नाम नागरिकता रखा, जो उनके लिए एक गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार को संभव बनाता है। इस परिवार के लिए नागरिकता विधेयक फिर से अपनी खोई हुई पहचान पाने का एक अवसर है, ऐसे अधिकार जो इनको इनके देश में प्राप्त नहीं थे।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के पारित होने के बाद से चली आ रही अफवाह, उथल-पुथल और उन्माद की पृष्ठभूमि में कई प्रासंगिक प्रश्न उठाए जा रहे हैं: पहला, क्या उत्पीड़न, विशेष रूप से कुछ देशों में धर्म के आधार पर, एक वास्तविकता है या नहीं? दूसरा, क्या भारत जैसी समृद्ध सभ्यता वाले देश को ऐसे भेदभाव का सामना करने वाले लोगों के दर्द को कम करना चाहिए? अंत में, जिस तरह से सीएए अपने अस्तित्व में आया है, वह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है? यदि इन सभी का उत्तर सकारात्मक हैं, तो इसको लेकर जो शोरगुल मचाया जा रहा है वह केवल राजनीति से प्रेरित है।

जब भारतीय संसद नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) पर बहस कर रही थी, तो अमेरिकी विदेश विभाग ने एक रिपोर्ट जारी कर पाकिस्तान को फिर से एक बार उस सूची में स्थान दिया, जिन देशों में धार्मिक स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन हो रहा हैं। इसके अतिरिक्त, हाल ही में यूरोपीय संसद द्वारा पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर जारी एक रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों और महिलाओं की दुर्दशा को दर्शाया गया है। उनमें से कई, विशेष रूप से हिंदू भारत में शरण लेने के लिए वहां से भाग रहे हैं। यह तथ्य भी ध्यान में रखना होगा कि सीएए में शामिल सभी तीन देश एक धर्म विशेष के आधार पर शासित राष्ट्र हैं।

दूसरा सवाल यह है कि अगर धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोग भारत की भूमि में शरण लेना चाहते हैं, तो भारत के सामने क्या विकल्प हैं? दरअसल, सीएए उस विचार का उन्नत स्वरूप है जो 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हॉब्स को संदर्भित करते हुए कहा था, "पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए जीवन बुरा, क्रूर और छोटा हो गया है।" भारत सिख, जैन और बौद्ध जैसे कुछ महान धर्मों का जन्मस्थान रहा है। भारतीय लोकाचार ने धर्म, संप्रदायों और परंपराओं की विभिन्न धाराओं को आत्मसात किया है।

अंत में, नागरिकता का स्थायी कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार के प्रावधानों को सीएए पूरा करता है या नहीं। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि "राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा" और अनुच्छेद 14 में विशेष वर्गीकरण इसके दो प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति के साथ ही किया जा सकता है, जिसमें तर्कसंगत और समझदार वर्गीकरण जो अपेक्षित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाए, शामिल है। न्यायिक निर्णयों की श्रृंखला इस बात पर भी जोर देती है कि ऐसा करते वक्त संविधान की भावना का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

सीएए के उद्देश्य और कारणों को गृहमंत्री अमित शाह द्वारा स्पष्ट रूप से रखा गया था। भारत के साथ सीमा साझा करने वाले सात देशों में से केवल तीन देशों के लिए ही ऐसा प्रावधान किया गया है, क्योंकि इन तीनों देशों में शासन एक धर्म विशेष के आधार पर चलाया जा रहा है। इस प्रकार, द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है। ऐतिहासिक रूप से भी भारत की सीमाओं में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से पलायन होता रहा है। धर्म के आधार पर उत्पीड़न का सामना करने वाले समुदाय अपने यात्रा दस्तावेजों की अवधि समाप्त होने या अपूर्ण या कोई दस्तावेज नहीं होने के बाद भी भारत में शरण लेने के लिए आते रहे हैं। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में इन प्रवासियों को पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 और विदेशियों अधिनियम, 1946 के प्रतिकूल दंडात्मक परिणामों से छूट दी हुई थी और 2016 में भी उन्हें दीर्घकालिक वीजा के लिए पात्र बनाया गया था। सीएए, बस इन उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता के लिए आवेदन देने के लिए सशक्त बनाना चाहता है।

इस बात पर भी बहस चल रही है कि क्या सीएए संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को समान

नागरिकता संशोधन अधिनियम एक ऐतिहासिक गलत को सही करता है और उन हजारों परिवारों को संबल प्रदान करता है, जो विभाजन के वर्षों बाद भी इसके आघात को झेल रहे हैं, जबकि उनके समकक्ष इस उप-महाद्वीप के अधिकांश लोग अपने जीवन में आगे बढ़ चुके है। ऐसा करना, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के उस दृष्टिकोण को भी पूरा करता है।

और स्वतंत्र रूप से किसी भी धर्म को अपनाने, उसका अनुसरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। सीएए इन प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है- एक तथ्य, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों मे वक्त किया है कि कैब को लाने से न तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन होता है, न ही भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे और परंपराओं पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा।

नागरिकता संशोधन अधिनियम एक ऐतिहासिक गलत को सही करता है और उन हजारों परिवारों को संबल प्रदान करता है, जो विभाजन के वर्षों बाद भी इसके आघात को झेल रहे हैं, जबकि उनके समकक्ष इस उप-महाद्वीप के अधिकांश लोग अपने जीवन में आगे बढ़ चुके है। ऐसा करना, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के उस दृष्टिकोण को भी पूरा करता है, जिसमें वह एक ऐसे देश की परिकल्पना करते हैं, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने उज्ज्वल भविष्य की दिशा में काम करने में सक्षम हो सकें। यह उन लोगों की न्याय और गरिमा को सुरक्षित करता है जिन्होंने उप-महाद्वीप में धार्मिक उत्पीड़न का सामना किया है। यह समावेशिता की भारतीय परंपरा को पुष्ट करता है।

यह उन लोगों को संरक्षित करने वाला एक ऐतिहासिक कदम है जो पीढ़ियों से पीड़ित हैं। सड़कों पर हिंसा और अशांति फैलाने वाले नेताओं के लिए इस बात को याद रखना जरूरी है जो स्वामी विवेकानंद ने 1883 में अपने प्रसिद्ध धर्म संसद भाषण में कही थीः "मुझे अपने देश पर गर्व है जो समूची पृथ्वी पर सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए शरणार्थियों को शरण देता है।" सीएए कई मायनों में इन आकांक्षाओं को पूरा करता है।

(लेखक केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं।) ■

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह बने राज्यसभा सदस्य

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री अरुण सिंह 5 दिसंबर को राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए। श्री सिंह का जन्म 4 अप्रैल, 1965 को मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) जिले के सुदूर गांव बैदहा में हुआ था। वह एक प्रसिद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट और शिक्षाविद हैं।

वर्तमान में श्री सिंह भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वर्ष 2014 से भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय के प्रभारी और ओडिशा राज्य भाजपा के प्रभारी हैं। राष्ट्रीय महासचिव का पद संभालने से पहले श्री सिंह पार्टी के राष्ट्रीय सचिव थे और भाजपा के राष्ट्रीय सदस्यता कार्यक्रम के सह-प्रमुख थे, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है।

वे अपने प्रारंभिक छात्र जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता के रूप में की। उन्होंने 1999 से 2004 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष का पद भी संभाला।

उत्तर प्रदेश से निर्विरोध उच्च सदन के लिए चुने गए श्री अरुण सिंह ने 9 दिसंबर, 2019 को शपथ ली।

कमल संदेश परिवार उन्हें नए कार्यभार के लिए बधाई देता है और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है। ■

सीएए उदात्त परम्परा की अगली कड़ी

- डॉ. नन्द किशोर गर्ग

भारत सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन क़ानून बनाने के बाद राजधानी दिल्ली सहित देश भर में अनेक स्थानों पर विरोध-प्रदर्शन आरम्भ हो गया। विभिन्न समूहों द्वारा यह भ्रम फैलाया जाने लगा कि यह अधिनियम देश के मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है तथा संविधान विरोधी है। निरंतर यह भी भ्रामक प्रचार किया जा रहा कि इस अधिनियम के साथ-साथ राष्ट्रीय नागरिकता कानून भी लाया जा रहा जो मुस्लिम विरोधी है। इस भ्रामक प्रचार के कारण देश भर में हिंसक प्रदर्शन आरम्भ हो गए जिससे भारी सार्वजनिक क्षति हुई।

वास्तविक स्थिति यह है कि नागरिकता संशोधन कानून से किसी भी भारतीय नागरिक को कोई लेना देना नहीं है, चाहे वह किसी भी मत पंथ को मानते हो। यह क़ानून भारत की उस उदात्त परंपरा के अनुसार जो शताब्दियों से पीड़ितों और असहायों को अपने यहां आश्रय देती रही है, की अगली कड़ी है। अलग- अलग समय पर अपने-अपने देशों में सताए जा रहे या अपने देश से विस्थापित लोगों को भारत में शरण मिलती रही है। स्वतंत्रता के बाद 1955 में नागरिकता अधिनियम लाया गया जिसके अंतर्गत भारत के नागरिक होने की कुछ शर्तें तय की गयीं। उसके बाद अलग-अलग समय पर अलग-अलग शरणार्थी समूहों को नागरिकता प्रदान की गई। वर्तमान नागरिकता संशोधन कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के ऐसे अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करता है जिनको अपने देशों में अपने पांथिक आस्था के कारण भारी अत्याचार सहना पड़ रहा था। उनका दमन उनके देशों की दमनकारी नीतियों तथा वहां की बहुसंख्यक आबादी द्वारा निर्ममतापूर्वक निरंतर किया जाता रहा आत्मरक्षार्थ उन लोगों ने भारत में शरण लिया हुआ था। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के दमन का इतिहास उसके अस्तित्व में आने जितना ही प्राचीन है। पाकिस्तान के प्रमुख संस्थापकों में से एक जोगेंद्र नाथ मंडल जो वहां के प्रथम कानून और श्रम मंत्री भी थे पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अमानवीय अत्याचारों के कारण केवल चार वर्षों में ही वहां से भारत वापस आ गए थे। उन्होंने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अमानवीय अत्याचारों पर विस्तार से लिखा था। यह जोगेंद्र नाथ मंडल ही थे जिनके कारण असम का अभिन्न अंग सिलहट पाकिस्तान का भाग बना जो आज बंगलादेश का भाग है। उन्हीं के प्रभाव के कारण सिलहट के हिन्दुओं ने मुस्लिम लीग का समर्थन किया और पाकिस्तान के पक्ष में अपना मत दिया। जोगेंद्र नाथ मंडल को पाकिस्तान के समर्थन का पछतावा जीवन भर रहा और गुमनामी में ही उनका शेष जीवन बीता। नागरिकता संशोधन कानून का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले 6 समुदायों (हिन्दू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और इसाई) के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देना है, जो कि दिसंबर 31, 2014 को या इससे पहले उत्पीड़न का शिकार होकर भारत आये थे। इनमें से अधिकांश शरणार्थी वीजा लेकर भारत आये थे परन्तु वापस नहीं गये। ये लोग घुसपैठिये नहीं थे बल्कि प्रताड़ना के शिकार होकर भारत आये थे, जिनमे से अधिकांश गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में रह रहे हैं। वर्तमान राजग सरकार के कार्यकाल में भी हजारों मुस्लिमों को भारत की नागरिकता दी गयी है जिसमें प्रख्यात गायक अदनान सामी जैसे लोग भी शामिल हैं। प्रख्यात लेखिका तसलीमा नसरीन ने भी कई वर्षों से इस्लामिक कट्टरपंथ का शिकार होकर भारत में शरण लिया हुआ है। बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी कई वर्षों तक भारत में शरण ले रखी थी। समावेशी संस्कार और सहिष्णुता भारतीय जीवन दर्शन के मूल में हैं। वसुधैव कुटुम्बकम् की अवधारणा भारत की ही देन है। भारतीय ऋषियों ने ही "माता भूमि पुत्रोऽहम् पृथिव्याः" का प्रतिपादन किया था। इसलिए इस विरोध का औचित्य क्या है?

वर्तमान नागरिकता संशोधन कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के ऐसे अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करता है जिनको अपने देशों में अपने पांथिक आस्था के कारण भारी अत्याचार सहना पड़ रहा था।

भारत सरकार के इस स्वागत योग्य कदम के बावजूद भ्रामक प्रचार के कारण देश के नागरिकों के कुछ हिस्सों में निर्मूल आशंकाओं का बीजारोपण विभिन्न समूहों द्वारा निरंतर किया जा रहा है। सरकार को इस पर त्वरित कारवाई करते हुए अपने तंत्र के द्वारा उन सभी लोगों के समूहों जिनके मन में इसको लेकर कोई आशंका है, से संवाद स्थापित करना चाहिए और उनको इस कानून की वास्तविक स्थति से परिचित कराना चाहिए।

पूर्वोत्तर के राज्यों में भी इस कानून का विरोध हो रहा है। उनकी आशंका है कि बांग्लादेश से आये हुए शरणार्थियों की एक बड़ी संख्या जो पूर्वोत्तर के राज्यों में है, उनको वहीं की नागरिकता दे दी जायेगी और इस प्रकार पूर्वोत्तर के राज्यों की मूल संस्कृति इससे प्रभावित होगी। सरकार को पूर्वोत्तर के राज्यों से भी बेहतर संवाद स्थापित करना चाहिए, उनकी आशंकाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सरकार को इन तीनों देशों से आये हुए शरणार्थियों को सघन आबादी वाले क्षेत्रों के बजाय उनको देश के विरल आबादी वाले क्षेत्रों में बसने की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे देश के नागरिकों में किसी भी प्रकार के असंतोष की भावना नहीं पनपे। ■

(लेखक भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक हैं)

अराजकता, अस्थिरता को नहीं पसंद करते हैं युवा: नरेन्द्र मोदी

कम-से-कम दो-तीन साल, हम स्थानीय उत्पाद खरीदने के आग्रही बनें

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 29 दिसंबर को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम में कहा कि नई पीढ़ी को अराजकता पसंद नहीं है और आने वाला दशक निश्चित तौर पर युवाओं और उनके सामर्थ्य के साथ देश के विकास का दशक होगा।

आकाशवाणी पर प्रसारित वर्ष 2019 के आखिरी 'मन की बात' कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा, ''आने वाला दशक दशक न केवल युवाओं के विकास का होगा, बल्कि, युवाओं के सामर्थ्य से देश का विकास करने वाला भी साबित होगा और भारत आधुनिक बनाने में इस पीढ़ी की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है।"

उन्होंने कहा कि खास बात ये है कि आज के युवा व्यवस्था को पसंद करते हैं, हालांकि कभी-कभी वे बैचैन भी होते हैं। श्री मोदी ने कहा, "युवा व्यवस्था का अनुसरण भी करना पसंद करते हैं और कभी कहीं व्यवस्था ठीक ढंग से प्रत्युत्तर न करें, तो वे बैचेन भी हो जाते हैं और हिम्मत के साथ व्यवस्था से सवाल भी करते हैं।"

उन्होंने कहा, ''मैं इसे अच्छा मानता हूं। हमारे देश के युवाओं को अराजकता से नफरत है। अव्यवस्था, अस्थिरता से भी उनको बड़ी चिढ़ है। वे परिवारवाद, जातिवाद, अपना-पराया, स्त्री-पुरुष, इन भेद-भावों को पसंद नहीं करते हैं।"

उन्होंने कहा, "भारत को इस पीढ़ी से बहुत उम्मीद हैं। इन्हीं युवाओं को देश को नई ऊंचाई पर ले जाना है।" श्री मोदी ने कहा कि तीन दिन के भीतर हम नए वर्ष के साथ ही नए दशक में भी प्रवेश करेंगे और इस दशक में देश के विकास को गति देने में वो लोग सक्रिय भूमिका निभायेंगे जिनका जन्म 21वीं सदी में हुआ है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कन्याकुमारी देश और दुनिया के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना है। राष्ट्रभक्ति से भरे हुए आध्यात्मिक चेतना को अनुभव करना चाहने वाले हर किसी के लिए ये एक तीर्थ-क्षेत्र बना हुआ है, श्रद्धा-केंद्र बना हुआ है। स्वामीजी के स्मारक ने हर पन्थ, हर आयु वर्ग के लोगों को राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित किया है। 'दरिद्र नारायण की सेवा' के मन्त्र को जीने का रास्ता दिखाया है। जो भी वहां गया, उसके अन्दर शक्ति का संचार हो, सकारात्मकता का भाव जगे, देश के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा हो- ये बहुत स्वाभाविक है।

श्री मोदी ने कहा कि हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय जी भी पिछले दिनों इस पचास वर्ष निर्मित रॉक मेमोरियल का दौरा करके आए हैं और मुझे खुशी है कि हमारे उप-राष्ट्रपति जी भी गुजरात के कच्छ के रण में, जहां एक बहुत ही उत्तम रणोत्सव होता है, उसके उद्घाटन के लिए गए थे। जब हमारे राष्ट्रपति जी, उप-राष्ट्रपति जी भी, भारत में ही ऐसे महत्वपूर्ण पर्यटक

स्थलों पर जा रहे हैं, देशवासियों को उससे जरुर प्रेरणा मिलती है - आप भी जरुर जाइये।

उन्होंने कहा कि हम अक्सर ये बात कहते हैं कि जब देश का हर नागरिक एक कदम आगे बढ़ता है, तो ये देश 130 करोड़ कदम आगे बढ़ जाता है। ऐसी बातें जब समाज में प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिलती हैं तो हर किसी को आनंद आता है, संतोष मिलता है और जीवन में कुछ करने की प्रेरणा भी मिलती है। एक तरफ, जहां बिहार के बेतिया में पूर्व-छात्रों के समूह ने स्वास्थ्य-सेवा का बीड़ा उठाया, वहीं उत्तर प्रदेश के फूलपुर की कुछ महिलाओं ने अपनी जीवटता से पूरे इलाके को प्रेरणा दी है। इन महिलाओं ने साबित किया है कि अगर एकजुटता के साथ कोई संकल्प ले तो फिर परिस्थितियों को बदलने से कोई रोक नहीं सकता।

देशवासियों से श्री मोदी ने अपील की कि क्या हम संकल्प कर सकते हैं कि 2022 में आज़ादी के 75 वर्ष हो रहे हैं, कम-से-कम ये दो-तीन साल हम स्थानीय उत्पाद खरीदने के आग्रही बनें? भारत में बना, हमारे देशवासियों के हाथों से बना, हमारे देशवासियों के पसीने की जिसमें महक हो, ऐसी चीजों को हम खरीद करने का आग्रह कर सकते हैं क्या? मैं लम्बे समय के लिए नहीं कहता हूं, सिर्फ 2022 तक, आज़ादी के 75 साल हो तब तक और ये काम सरकारी नहीं होना चाहिए, स्थान-स्थान पर नौजवान आगे आएं, छोटे-छोटे संगठन बनायें, लोगों को प्रेरित करें, समझाएं और तय करें- आओ, हम लोकल खरीदेंगे, स्थानीय उत्पादों पर बल देंगे, देशवासियों के पसीने की जिसमें महक हो- वही, मेरे आज़ाद भारत का सुहाना पल हो, इन सपनों को लेकर के हम चलें। ■

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम - 2019

को

अपना समर्थन देने के लिए

इस नंबर पर Missed Call करें

88662 - 88662

#IndiaSupportsCAA

/BJP4India www.bjp.org

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बने

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी,

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं गृहमंत्री श्री अमित शाह

और भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

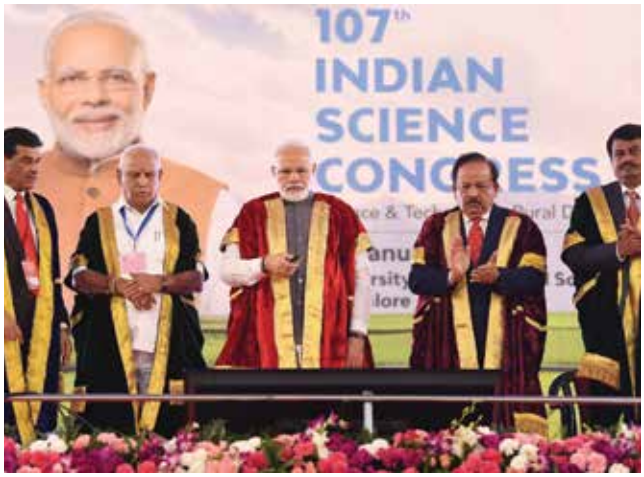

बेंगलुरु (कर्नाटक) में 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन अवसर पर आई-एसटीईएम पोर्टल का शुभारंभ करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनके स्मारक 'सदैव अटल' जाकर श्रद्धांजलि देते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व अन्य

नई दिल्ली में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 'अटल भूजल योजना' का शुभारंभ करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और साथ में केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह व श्री गजेंद्र सिंह शेखावत

नई दिल्ली में प्रमुख अर्थशास्त्रियों से बजट-पूर्व विचार-विमर्श करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और साथ में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह व अन्य

कमल संदेश

अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध

लॉग इन करें:

www.kamalsandesh.org

राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh

@KamalSandesh

kamal.sandesh

KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2018-20
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-20